माननीय एन.जी.टी. प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. कमांक 100/2020 (सी.जेड़) (नितीन कुमार विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य) की स्टेटस रिपोर्ट

———00000———

माननीय एन.जी.टी. प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. कमांक–100/2020 (सी.जेड़) (नितिन कुमार विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 02/12/2020 में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोडल एजेंसी, म0प्र0 राज्य खनिज निगम होशंगाबाद तथा कलेक्टर व खनन अधिकारी, होशंगाबाद को तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक:–एफ19–7/2020/12/2 भोपाल दिनांक 06/06/2020 से होशंगाबाद जिले 09 रेत खदानों की ठेका अवधि 31/03/2020 तक वैध थी, के लिए वर्तमान परिस्थितियों में रेत खनिज की उपलब्धता हेतु अंतरिम व्यवस्था किये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर उक्त 09 रेत खदानों के ठेकों की समय वृद्धि ठेकेदारों की सहमति के आधार पर 01 वर्ष (दिनांक 31/03/2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक के लिए की गयी थी। (संलग्न शासन आदेश दिनांक 06/06/2020 की प्रति)

रेत खदानो का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0	समूहों का कोड	रेत खदान का नाम	खसरा नं0	रकबा (है0)	मात्रा (घ0मी0) प्रतिवर्ष	सर्वोच्च बोलीकर्ता का नाम
1	SMC0008	राजपुर–4	126	10.555	168880	सियम् इन्टरप्राईसेस
2	SMC0022	निमसाडिया	1163	20.243	200000	संतोष राज द्विवेदी
3	SMC0023	देवलाखेड़ी	60	12.145	120000	आर0एस0आई0स्टोन प्रा0लि0
4	SMC0029	होरियापीपर	226	19.746	125000	ठाकुर कंस्ट्रक्शन
5	SMC0251	मेहराघाट–10	365	11.655	116500	ए0डी0 एण्ड फूलस् प्रा0लि0
6	SMC0253	आयलखेड़ा–4	87/2	10.486	235900	एसोसिएट कामर्स
7	SMC0279	राजौन–2	181/1	17.500	236250	एस0आर0ट्रेडर्स
8	SMC0044	कासदारैयतवाड़ी	18	4.000	120000	सैनिक फूड्स प्रा0लि0
9	SMC0292	बेदर	58	16.976	509280	सैनिक फूड्स प्रा0लि0

म0प्र0 राज्य खनिज निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार शासन द्वारा समयवृद्धि उपरांत दिनांक 10/08/2020 से म0प्र0 राज्य खनिज निगम एवं उपरोक्त 09 रेत खदान ठेकेदारों के बीच अनुबंध निष्पादन कर सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात रेत खनिज निकासी हेतु रेत खदानों का संचालन प्रारम्भ किया गया। (संलग्न–09 अनुबंध निष्पादन की छायाप्रति, 09 ई0सी0 की प्रति एवं 09 सी.टी.ओ. की प्रति)

मानसून सत्र की प्रतिबंधित अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 02/10/2020 से उक्त 09 रेत खदानों में रेत उत्खनन कर निकासी का कार्य पुनः प्रारम्भ हुआ था।

उक्त 09 रेत खदानों के संबंध में दी मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि0, संभागीय कार्यालय होशंगाबाद द्वारा लेख किया गया है कि उक्त रेत खदानों के पूरक अनुबंध उपरांत ठेकेदारों द्वारा पुनः वैधानिक अनुमतियां दिनांक 31/03/2021 तक के लिए प्राप्त कर निगम में प्रस्तुत की गयी थीं। (निगम से प्राप्त पत्र दिनांक 23/11/2020 की छायाप्रति संलग्न है)

Dwivedi

जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष–2020–21 में 01 अप्रैल–2020 से 31 दिसम्बर–2020 तक अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अवैध उत्प्रभनकर्ता, अवैध परिवहनकर्ता एवं अवैध भण्डारणकर्ता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	प्रकरण का प्रकार	दर्ज प्रकरण	जप्त वाहन	प्रस्तावित अर्थदण्ड	निराकृत प्रकरण	अधिरोपित अर्थदण्ड	जमा राशि	RTO में जमा राशि	कुल जमा राशि (RTO +0853)
1	अवैध उत्खनन	18	35	18526625	12	6097250	4246000	174000	4420000
2	अवैध परिवहन	175	175	8613480	167	6390500	6390500	1099000	7489500
3	अवैध भण्डारण	8	4	6109088	1	100000	100000	15500	115500
	Total	201	214	33251193	180	12587750	10736500	1288500	12025000

अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के उक्त प्रकरणों में संगत **प्रावधानों/नियमों के तहत** प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के **प्रकरणों में 184 प्राथमिकी** (एफ0आई0आर0) दर्ज करायी गयी हैं।

वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा सम्पूर्ण जिला होशंगाबाद रेत समूह की 118 रेत खदानों को ठेकेदार मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन्स लि0, पता–65–ए, ट्रान्सपोर्ट नगर, कोरबा, जिला–कोरबा(छ0ग) को सर्वोच्च निविदा पर दिनांक 30 जून–2023 तक के लिए स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा निविदाकार को पत्र कमांक–रेत/2020/2686 भोपाल दिनांक 04/12/2020 से आशय पत्र जारी किया गया। जिसके उपरांत संबंधित ठेकेदार द्वारा म.प्र. राज्य खनिज निगम के साथ अनुबंध निष्पादन दिनांक 13/01/2021 को किया जाकर 20 रेत खदानों में सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात रेत खनिज निकासी हेतु रेत खदानों का संचालन किया जा रहा है। (संलग्न– 20 रेत खदानों की सूची, 20 अनुबंध निष्पादन की छायाप्रति, 20 ई0सी0 की प्रति एवं 20 सी.टी.ओ. की प्रति)

उपरोक्त रेत खदानों द्वारा म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण **बोर्ड द्वारा जारी किये गये सम्मति पत्र में दी** गयी शर्तों एवं सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 **के प्रावधानों का पालन करते हुये आवंटित** लीज क्षेत्र से नियमानुसार रेत का उत्खनन किया है **जिस पर संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर निगरानी रखी गयी है।**

उपरोक्त संलग्नकों के अनुसार गठित दल द्वारा तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की **गयी है, जिसके अनुसार सस्टेनेबल सेंड** माईनिंग गाईडलाईन 2016 तथा म0प्र0 रेत(खनन, परिवहन, **भण्डारण एवं व्यापार) नियम–2019 के संगत** प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार सतत् रूप से नियमित **कार्यवाही की गयी है।**

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	उच्च महाप्रबंधक म0प्र0 राज्य खनिज निगम संभागीय कार्यालय होशंगाबाद	खनि अधिकारी जिला–होशंगाबाद(म0प्र0)	अपर कलेक्टर जिला–होशंगाबाद(म0प्र0)

संलग्न क्र. 5 (01)

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक :- एफ 19-7/2020/12/2 **भोपाल, दिनांक :- 06/06/2020**

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
   मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम,
   पर्यावास भवन, भोपाल, (म.प्र.)।

2. **कलेक्टर,**
   जिला होशंगाबाद, मण्डला एवं आगर-मालवा,
   मध्यप्रदेश।

विषयः- **जिला होशंगाबाद, मण्डला एवं आगर-मालवा जिलों में दिनांक 31.03.2020 तक स्वीकृत रेत खदानों के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक होशंगाबाद जिले की 09 रेत खदानों, मंडला जिले की 02 रेत खदानों एवं आगर-मालवा जिले की 02 रेत खदानों जिनकी ठेका अवधि दिनांक 31.03.2020 को वैध थी, के लिये वर्तमान परिस्थितियों में रेत खनिज की उपलब्धता हेतु अंतरिम व्यवस्था किये जाने का राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया है।

होशंगाबाद जिले की खदान मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा अनुबंधित ठेकेदारों के माध्यम से तथा मण्डला एवं आगर-मालवा जिले की खदानें मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत नीलामी में ठेकेदारों द्वारा संचालित थीं।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 66 (विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण), मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 25(1) (कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति), नियम 26(6) (संक्रमण काल के लिये प्रावधान), मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 36(3) (बोली लगाने का करार) तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा पूर्व में जारी निविदा में ठेके की सामान्य शर्तों के बिन्दु क्रमांक - 2.15 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार निर्णय लिया गया, है:-

(क) होशंगाबाद, मण्डला एवं आगर-मालवा जिले में दिनांक 31.03.2020 को वैध ठेकों की समय वृद्धि, इन जिलों की रेत खदानों के ठेकेदारों की सहमति के आधार पर, 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक, (जो भी पहले हो) तक मान्य की जाये।

(ख) ठेके की अवधि 01 अप्रैल, 2020 से उपरोक्तानुसार निरंतर मान्य की जाये। ठेकेदार द्वारा खदान का कब्जा लेने की दिनांक से समानुपातिक रूप से ठेका धन की राशि वसूल की जाये।

(ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत ठेका धन में प्रति घन मीटर की स्वीकृत दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि अथवा नवीन निविदा में प्राप्त अधिकतम दर जो भी अधिक हो, वह दर स्वीकृत मान्य की जाये।

(घ) आगर मालवा जिले में वर्तमान ई-निविदा में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस जिले मे उज्जैन संभाग के अन्य जिलों में प्राप्त उच्चतम निविदा दर की औसत दर से प्रति घनमीटर की राशि ली जाए।

(इ) समय वृद्धि हेतु ठेकेदारों को संबंधित जिले के कलेक्टर एवं मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के साथ नियमानुसार पूरक अनुबंध का निष्पादन कराया जाये।

(ई) बढ़ाई गई अवधि के लिये स्वीकृत रेत खनिज की मात्रा अनुपातिक रूप से वही होगी, जो कि पूर्व में अनुबंधित रही है। वार्षिक मात्रा को 09 माह (मानसून अवधि छोड़कर) में अनुपातिक रूप से विभक्त किया जायेगा। ठेकेदार को खदान पर वास्तविक कब्जा अवधि में उक्त मात्रा की समानुपातिक रूप से रेत निकासी की अनुमति दी जाये। इस अवधि में निर्धारित ठेका राशि वसूल की जाये।

(छ) निर्धारित मात्रा से अधिक की रेत निकासी की जाती है, तो अतिरिक्त उठाई गई मात्रा का अनुमोदित दरों पर अग्रिम रूप से भुगतान कराया जाये।

राज्य शासन के उपरोक्त निर्णय के पालन में होशंगाबाद जिले में दिनांक 31.03.2020 को वैध स्वीकृत रेत खदानों के ठेकेदारों से मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम सहमति प्राप्त कर, लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार कलेक्टर, जिला आगर-मालवा एवं मण्डला दिनांक 31.03.2020 को वैध स्वीकृत रेत खदानों के ठेकेदारों से सहमति प्राप्त कर, लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रकाश बाई)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग
भोपाल, दिनांक :- 06/06/2020

पृष्ठ. क्रमांक :- एफ 19-7/2020/12/2

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा), जिला होशंगाबाद, मण्डला एवं आगर-मालवा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

...3391, 2763392, 2763393
...65-2763394
...mpsmc@mp.gov.in
www.mpsmcl.mp.gov.in
...410MP1962SGC000937

पंजीकृत कार्यालय :
पर्यावास भवन, ब्लाक नं. 1 (ए)
द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

क्र/ठे/म-20/967

दिनांक- 10/6/2020

प्रति,

कलेक्टर,
जिला होशंगाबाद
मध्यप्रदेश

विषय:- जिला होशंगाबाद मे दिनांक 31.03.2020 को वैध ठेको की समय वृद्धि कर पूरक अनुबंध भेजने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र क्र. एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल दिनांक 06.06.2020 के तहत जिला होशंगाबाद जिले में दिनांक 31.03.2020 को वैध ठेकेदारों की समय वृद्धि ठेकेदारों की सहमति के आधार पर 1 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध की दिनांक (जो भी पहले हो) तक बढ़ाई गई है तथा ठेकेदारो से पूरक अनुबंध निष्पादित किया गया है । जिनकी छायाप्रति संलग्न हैं । विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक	खदान का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध दिनांक
1	रायपुर-4	शिवम इन्टरप्राईजेस	10.06.2020
2	होरियापीपर	ठाकुर कंस्ट्रक्शन	10.06.2020
3	निमसाडिया	संतोष पांडे द्विवेदी	10.06.2020
4	आँवलखेडा-4	एसोसिएट्स कॉमर्स	10.06.2020
5	सेहराघाट-10	ए.डी. एग्रो फूड्स	10.06.2020
6	राजौन-2	एस.आर.ट्रेडर्स	10.06.2020
7	कासदा पैंतवाडी	सैनिक इंडस्टीज	10.06.2020
8	वेदर	सैनिक इंडस्टीज	10.06.2020
9	देवलाखेडी	आर.एस.आई. सल्ई स्टोन	10.06.2020

उपरोक्त ठेकेदारों के पूरक अनुबंध की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित हैं ।

(दिलीप कुमार)
कार्यपालक संचालक

HM/T.H/2

मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल

प्रतिलिपि:-

क्र.रत/2020/ 967, 968 भोपाल,दिनांक 10/6/2020

1. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल की ओर सूचनार्थ पूरक अनुबंध की प्रति संलग्न ।
2. जिला पंचायत, जिला होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ पूरक अनुबंध की प्रति संलग्न ।
3. संभागीय अधिकारी, होशंगाबाद की ओर की ओर सूचनार्थ पूरक अनुबंध की प्रति संलग्न ।
4. संबंधित ठेकेदारों की ओर की ओर सूचनार्थ पूरक अनुबंध की प्रति संलग्न ।

कार्यपालक संचालक

HM/I.H/8

रेत विक्रय का पूरक अनुबंध

तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद समूह कोड क्रमांक SMC0008 रेत खदान रायपुर-4 उत्खनन एवं बिक्री का अनुबंध भाग

यह अनुबंध दि.एम.पी.स्टेट.माईनिंग कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के प्रबंध संचालक (जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मलित है (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स शिवम इन्टरप्राईजेस 6, बैसाली काम्प्लेक्स, जोन 2 एम.पी.नगर, भोपाल (जिसे आगे बोलीकर्ता संदर्भ किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके निष्पादन, प्रबंधक, प्रतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित है (द्वितिय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 18/06 वर्ष 2020 को निष्पादित किया जाता है ।

यह साक्ष्यांकित है कि निगम के उपकार्यालय होशंगाबाद द्वारा संचालित समूह क्रमांक होशंगाबाद-8 समूह कोड क्रमांक SMC0008 की रेत खदान रायपुर-4 खसरा नं 126 रकबा10.555 जिसको विशेष रूप से अनुसूची में दर्शाया गया है तथा जिसका नक्शा उपलब्ध कराकर मौका दिखाया गया है, जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है पर से रेत विक्रय का ठेका अनुबंध दिनांक 20.04.2017 से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2020 तक दिया गया था।

शासन के परिपत्र क्रमांक: एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 में उल्लेखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार की सहमति पर उन्हें 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जावे : ठेकेदार द्वारा उक्त परिपत्र के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 08.06.2020 के तहत दिनांक 31.03.2021 अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन के दिनांक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है एवं यह अनुबंध दिनांक 01.04.2020 से निरंतर माना जावेगा।

मात्रा :-पूर्व ठेका मात्रा मूल अनुबंध एवं प्रस्तुत वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार 168800 घनमीटर प्रतिवर्ष है। म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के क्रम में उक्त मात्रा को 09 माहों में (मानसून अवधि छोड़कर) अनुपातिक रूप से विभक्त किया जाता है। ठेकेदारों को खदान पर वास्तविक ठेका अवधि में समानुपातिक रूप से रेत निकालने की अनुमति होगी। ठेकेदार द्वारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है,तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम को भुगतान करेगा।

For M/s Shivam Enterprises

Proprietor

दर:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 137.83 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 151.613 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार रायपुर-4 खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271/- प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरूद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 20.04.2017 कार्यादेश दिनांक 25.03.2017 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होंगी।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढ़ी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों द्वारा दिनांक 10/6/2020 को हस्ताक्षरित।

साक्षी :-

(1) आशुतोष टेमले
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (खान)

(2) एस.सी. सेमल
प्रबंधक (सामान्य)

कार्यपालक संचालक
म0प्र0राज्य खनिज निगम
दिनांक 10/06/2020

ठेकेदार के हस्ताक्षर
दिनांक -

साक्षी :-

(1)

(2)

मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार व्दारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है,तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम को भुगतान करेगा।

दर:- वित्तीय वर्ष **2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए** 234.830 प्रति **घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत** की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 258.313 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, **भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार होरियापीपर खदान** के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर **(टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर** अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर **रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत** की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरूद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्ते ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 01.01.2017 कार्यादेश दिनांक 30.12.2016 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होगी ।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढ़ी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारो व्दारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

साक्षी :-

(1)

(2) एस.सी. नेमा
प्रबंधक (सामान्य)

10/06/2020
कार्यपालक संचालक
म0प्र0 राज्य खनिज निगम
दिनांक कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.
भोपाल

ठेकेदार के हस्ताक्षर
दिनांक -

साक्षी :-

(1)

(2)

THAKUR CONSTRUCTION
PROPRIETOR

ढ़:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 161.575 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 177.732 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार निमसाडिया खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरूद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्ते ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 21.12.2016 कार्यादेश दिनांक 21.12.2016 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होगी ।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढ़ी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारो द्वारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

10/06/2020

साक्षी :-

(1) आशुतोष ... वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (खनि)

(2)

कार्यपालक संचालक

म0प्र0 राज्य खनिज निगम

दिनांक-

SANTOSH RAJ DWIVEDI

Proprietor

साक्षी :-

(1) Vijay Dwivedi

(2)

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक -

ठेकेदार व्दारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार व्दारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है,तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम को भुगतान करेगा।

दर:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 208.576 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 229.433 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में ज़िला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार आंचलखेडा-4 खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरुद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितो को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 07.01.2017 कार्यादेश दिनांक 06.01.2017 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होंगी।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढ़ी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों व्दारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

10/06/2020

कार्यपालक संचालक

म0प्र0 राज्य खनिज निगम

दिनांक -

साक्षी :-

(1) आशुतोष टेमले
उप महाप्रबंधक (खान)

(2) एस.सी. नेमा
प्रबंधक (सामान्य)

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक -

साक्षी :-

(1)

(2)

रेत विक्रय का पूरक अनुबंध

तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद समूह कोड क्रमांक SMC0251 रेत खदान मेहराघाट-10 उठाव एवं बिक्री का अनुबंध भाग

यह अनुबंध दि.एम.पी.स्टेट.माईनिंग कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के प्रबंध संचालक (जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मलित है (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स ए.डी.एग्रो फूड्स प्रा0लि0, 18, सागर माथा आर्पाटमेन्टर्स, एम.जी.रोड, इन्दौर (जिसे आगे बोलीकर्ता संदर्भ किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा सवीकार्य हो उसके निष्पादन, प्रबंधक, प्रतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित है (द्वितिय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 15/06 वर्ष 2020 को निष्पादित किया जाता है ।

यह साक्ष्यांकित है कि निगम के उपकार्यालय होशंगाबाद व्दारा संचालित समूह क्रमांक होशंगाबाद-49 समूह कोड क्रमांक SMC0251 की रेत खदान मेहराघाट-10 खसरा नं 365 रकबा 11.655 जिसको विशेष रुप से अनुसूची में दर्शाया गया है तथा जिसका नक्शा उपलब्ध कराकर मौका दिखाया गया है, जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है पर से रेत विक्रय का ठेका अनुबंध दिनांक 28.04.2017 से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2020 तक दिया गया था।

शासन के परिपत्र क्रमांक: एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 में उल्लेखित शर्तो को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार की सहमति पर उन्हें 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार व्दारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जावे । ठेकेदार व्दारा उक्त परिपत्र के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 08.06.2020 के तहत दिनांक 31.03.2021 अथवा नवीन ठेकेदार दवारा अनुबंध निष्पादन के दिनांक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है एवं यह अनुबंध दिनांक 01.04.2020 से निरंतर माना जावेगा।

<u>मात्रा</u> :-पूर्व ठेका मात्रा मूल अनुबंध एवं प्रस्तुत वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार 116500 घनमीटर प्रतिवर्ष है। म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के क्रम में उक्त मात्रा को 09 माहों में (मानसून अवधि छोडकर) अनुपातिक रुप से विभक्त किया जाता है। ठेकेदारों को खदान पर वास्तविक ठेका अवधि में समानुपातिक रूप से रेत निकालने की अनुमती होगी। ठेकेदार व्दारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार व्दारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है,तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम को भुगतान करेगा।

उपमहाप्रबंधक / कार्यपालन संचालक, दि.एम.पी. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

AD Agro Foods Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

दर:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 151.66 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 166.826 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार मेहराघाट-10 खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरूद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 28.04.2017 कार्यादेश दिनांक 27.04.2017 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होंगी।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढ़ी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों द्वारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

10/06/2020

कार्यपालक संचालक
म0प्र0 राज्य खनिज निगम
दिनांक

साक्षी :-

(1) आशुतोष टेमले
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (खान)

(2) एस.पी. मेमा
प्रबंधक (खनन)

AD Agro Foods Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

ठेकेदार के हस्ताक्षर
दिनांक -

साक्षी :-

(1) Litesh Jha

(2) Atul Goud
Atul Goud
3 C-ccl Phase 5 Bhopal

रेत विक्रय का पूरक अनुबंध

तहसील बाबई जिला होशंगाबाद समूह कोड क्रमांक **SMC0279** रेत खदान **राजौन-2** उठाव एवं बिक्री का अनुबंध भाग

यह अनुबंध दि.एम.पी.स्टेट.माईनिंग कॉर्पोरेशन **लि. भोपाल के प्रबंध संचालक** (जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी **अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मलित है (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स एस.आर.ट्रेडर्स,ई-5 शाप नं. 12, मेट्रो प्लाजा विज्ञन मार्केट, भोपाल** (जिसे आगे बोलीकर्ता संदर्भ किया गया है) **जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके निष्पादन, प्रबंधक,** प्रतिनिधिगण **तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित है** (द्वितिय पक्ष) के मध्य आज **दिनांक 10/06/वर्ष 2020 को निष्पादित किया जाता है ।**

यह साक्ष्यांकित है कि निगम के उपकार्यालय होशंगाबाद व्दारा संचालित समूह क्रमांक बाबई-18 समूह कोड क्रमांक SMC0279 की रेत खदान राजौन-2 खसरा नं 181/1 रकबा 17.500 जिसको विशेष रूप से अनुसूची में दर्शाया गया है तथा जिसका नक्शा उपलब्ध कराकर मौका दिखाया गया है, **जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है पर से** रेत विक्रय का ठेका अनुबंध दिनांक 15.06.2017 **से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2020** तक दिया गया था।

शासन के परिपत्र क्रमांक: एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 में उल्लेखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार की सहमति पर उन्हें 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अर्थात् नवीन ठेकेदार व्दारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जावे । ठेकेदार व्दारा उक्त परिपत्र के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 08.06.2020 **के तहत दिनांक 31.03.2021 अथवा नवीन ठेकेदार** दवारा अनुबंध निष्पादन के **दिनांक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये वृद्धि की** जाती है एवं यह अनुबंध दिनांक **01.04.2020 से निरंतर माना जावेगा।**

<u>मात्रा</u> :-पूर्व ठेका मात्रा मूल अनुबंध एवं प्रस्तुत **वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार** 236250 घनमीटर प्रतिवर्ष है। म0प्र0 शासन, खनिज **साधन विभाग के परिपत्र एफ 19-**7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के **क्रम में उक्त मात्रा को 09 माहों में (मानसून अवधि छोड़कर) अनुपातिक रूप से विभक्त किया** जाता है। **ठेकेदारों को खदान पर वास्तविक ठेका अवधि में समानुपातिक रूप से रेत निकालने की अनुमती होगी। ठेकेदार व्दारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार व्दारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है,तब निर्धारित दर से अतिरिक्त** राशि निगम को भुगतान करेगा।

दर:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 137.731 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 151.504 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार राजौन-2 खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरूद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 15.06.2017 कार्यादेश दिनांक 14.06.17 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होंगी।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढ़ी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों द्वारा दिनांक 10/06/2021 को हस्ताक्षरित।

10/06/2020

कार्यपालक संचालक

म0प्र0 राज्य खनिज निगम

दिनांक -

साक्षी

(1) आशुतोष टेमले
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (खान)

(2) एस.पी. मेमा
प्रबंधक (सामान्य)

प्रबंधक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो.लि.

For S. R. TRADERS

Authorised Signatory

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक -

साक्षी :-

(1) Utkarsh Jha

(2) Yogendra Singh

रेत विक्रय का पूरक अनुबंध

तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद समूह कोड क्रमांक SMC 0044 रेत खदान कासदा रैयतवाड़ी उठाव एवं बिक्री का अनुबंध भाग

यह अनुबंध दि.एम.पी.स्टेट.माईनिंग कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के प्रबंध संचालक (जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मलित है (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स सैनिक इन्डस्ट्रीज **प्रा0लि0, फ्लेट नं. 201-202, विकास प्लाजा, बिल्डिंग नं. 2 लोकल शॉपिंग सेन्टर, कालकाजी, नई दिल्ली (जिसे** आगे बोलीकर्ता संदर्भ किया गया है) **जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा** स्वीकार्य हो उसके निष्पादन, प्रबंधक, **प्रतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित** है (द्वितिय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 10/06 **वर्ष** 2020 **को निष्पादित किया जाता है।**

यह साक्ष्यांकित है कि निगम के उपकार्यालय होशंगाबाद **व्दारा संगणित इटरसी समूह क्रमांक इटरसी-1 समूह कोड** क्रमांक SMC 0044 की रेत खदान **कासदा रैयतवाड़ी खसरा नं 18 रकबा 4.000** जिसको विशेष रूप से अनुसूची में **दर्शाया गया है तथा जिसका नक्शा उपलब्ध कराकर मौका दिखाया गया है, जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है पर से रेत विक्रय का ठेका अनुबंध दिनांक 31.05.2016 से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2020 तक दिया गया था।**

शासन के परिपत्र क्रमांक: एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 में उल्लेखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार की सहमति पर उन्हें 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार व्दारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जावे । ठेकेदार व्दारा उक्त परिपत्र के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 08.06.2020 के तहत दिनांक 31.03.2021 अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन के दिनांक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है एवं यह अनुबंध दिनांक 01.04.2020 से निरंतर माना जावेगा।

मात्रा :-**पूर्व ठेका मात्रा मूल अनुबंध एवं प्रस्तुत वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार 118800** घनमीटर प्रतिवर्ष है। म0प्र0 शासन, खनिज **साधन विभाग** के परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के **क्रम में उक्त मात्रा को 09 माहों** में (मानसून अवधि छोडकर) अनुपातिक रूप से **विभक्त किया जाता है। ठेकेदारों को खदान** पर वास्तविक ठेका अवधि में समानुपातिक **रूप से रेत निकालने की अनुमती होगी। ठेकेदार व्दारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार व्दारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है,तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम को भुगतान करेगा।**

Sainik Industries Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

दर:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 143.842 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 158.226 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार कासदा रैयतवाडी खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरूद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 31.05.2016 कार्यादेश दिनांक 27.05.2016 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होंगी ।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारो व्दारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

10/06/2020

कार्यपालक संचालक
म0प्र0 राज्य खनिज निगम
दिनांक

Sainik Industries Pvt. Ltd.

Authorised Signatory
ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक -

साक्षी :-

(1)

(2) आशुतोष टेमले
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (खान)

एस.सी. मेश्राम
प्रबंधक (सामान्य)

साक्षी :-

(1)

(2)

रेत विक्रय का पूरक अनुबंध

तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद समूह कोड क्रमांक SMC0292 रेत खदान वेदर उठाव एवं बिक्री का अनुबंध भाग

यह अनुबंध दि.एम.पी.स्टेट.माईनिंग कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के प्रबंध संचालक (जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मलित है (प्रथम पक्ष) एवं मैसर्स सैनिक इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0, फ्लेट नं. 201-202, विकास प्लाजा, बिल्डिंग नं. 2 लोकल शॉपिंग सेन्टर, कालकाजी, नई दिल्ली (जिसे आगे ठेकेदार संदर्भ किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके निष्पादन, प्रबंधक, प्रतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित है (द्वितिय पक्ष) के मध्य आज दिनांक...19.6 वर्ष 2020 को निष्पादित किया जाता है ।

यह साक्ष्यांकित है कि निगम के उपकार्यालय होशंगाबाद व्दारा संचालित समूह क्रमांक वनखेडी-3 समूह कोड क्रमांक SMC0292 की रेत खदान वेदर खसरा नं 58 रकबा 16.976 जिसको विशेष रूप से अनुसूची में दर्शाया गया है तथा जिसका नक्शा उपलब्ध कराकर मौका दिखाया गया है, जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है पर से रेत विक्रय का ठेका अनुबंध दिनांक 20.06.2016 से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2020 तक दिया गया था।

शासन के परिपत्र क्रमांक: एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 में उल्लेखित शर्तो को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार की सहमति पर उन्हें 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार व्दारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जावे । ठेकेदार व्दारा उक्त परिपत्र के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 08.06.2020 के तहत दिनांक 31.03.2021 अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन के दिनांक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है एवं यह अनुबंध दिनांक 01.04.2020 से निरंतर माना जावेगा।

मात्रा :-पूर्व ठेका मात्रा मूल अनुबंध एवं प्रस्तुत वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार 440000 घनमीटर प्रतिवर्ष है। म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के क्रम में उक्त मात्रा को 09 माहों में (मानसून अवधि छोड़कर) अनुपातिक रूप से विभक्त किया जाता है। ठेकेदारों को खदान पर वास्तविक ठेका अवधि में समानुपातिक रूप से रेत निकालने की अनुमती होगी। ठेकेदार व्दारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की विक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार व्दारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है,तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम को भुगतान करेगा।

Sainik Industries Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

दर:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 158.424 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 174.266 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में ज़िला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अत: परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार बेदर खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरूद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्तें ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 20.06.2016 कार्यादेश दिनांक 03.06.2016 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होगी ।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढ़ी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारो द्वारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

10/06/2020

कार्यपालक संचालक
म0प्र0 राज्य खनिज निगम
दिनांक

साक्षी :- आशुतोष टमल
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (खान)

(1)

(2) एस.सी. मेना
प्रबंधक (सामान्य)

Sainik Industries Pvt. Ltd.

Authorised Signatory
ठेकेदार के हस्ताक्षर
दिनांक -

साक्षी :-

(1) Jogendra Singh

(2) Atul Gondal
acct - Phase-5
Bhopal

रेत विक्रय का पूरक अनुबंध

तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद समूह कोड क्रमांक SMC0023 रेत खदान देवलाखेड़ी उठाव एवं बिक्री का अनुबंध भाग

यह अनुबंध दि.एम.पी.स्टेट.माईनिंग कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के प्रबंध संचालक (जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मलित है (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स आर.एस.आई. स्टोन वर्ल्ड प्र0 लि0 ई-7 एम. 708, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (जिसे आगे बोलीकर्ता संदर्भ किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके निष्पादन, प्रबंधक, पतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित है (द्वितिय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 10/06 वर्ष 2020 को निष्पादित किया जाता है ।

यह साक्ष्यांकित है कि निगम के उपक्षेत्रीयालय होशंगाबाद व्दारा संचालित समूह क्रमांक होशंगाबाद-23 समूह कोड क्रमांक SMC0023 की रेत खदान देवलाखेड़ी खसरा नं 60 रकबा 12.145 जिसको विशेष रूप से अनुसूची में दर्शाया गया है तथा जिसका नक्शा उपलब्ध कराकर मौका दिखाया गया है, जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है पर से रेत विक्रय का ठेका अनुबंध दिनांक 26.05.2016 से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2020 तक दिया गया था।

शासन के परिपत्र क्रमांक: एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 में उल्लेखित शर्तो को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार की सहमति पर उन्हें 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2021 तक) अथवा नवीन ठेकेदार व्दारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक अवधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जावे । ठेकेदार व्दारा उक्त परिपत्र के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 08.06.2020 के तहत दिनांक 31.03.2021 अथवा नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन के दिनांक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है एवं यह अनुबंध दिनांक 01.04.2020 से निरंतर माना जावेगा।

मात्रा :-पूर्व ठेका मात्रा मूल अनुबंध एवं प्रस्तुत वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार **110000** घनमीटर प्रतिवर्ष है। म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र एफ **19**-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के क्रम में उक्त मात्रा को 09 माहों **में** (मानसून अवधि छोडकर) अनुपातिक रूप से विभक्त किया जाता है। ठेकेदारों को खदान पर वास्तविक ठेका अवधि में समानुपातिक रूप से रेत निकालने की अनुमती होगी। ठेकेदार व्दारा यदि उक्त मात्रा से कम मात्रा की बिक्री कराता है तब भी उन्हें निर्धारित मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार व्दारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत की बिक्री की जाती है,तब निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि निगम को भुगतान करेगा।

For RSI Stone World Pvt. Ltd

Authorised Signatory

दर:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में खदान के ठेका धन की प्रचलित दर रूपए 176.812 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) थी। उक्त में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये यह दर रूपए 194.493 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) होती है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में जिला होशंगाबाद के लिये प्राप्त उच्चतम दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर है। अतः परिपत्र एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 अनुसार देवलाखेड़ी खदान के लिये दर रूपए 271.25 प्रति घनमीटर (टीसीएस, जीएसटी एवं अन्य कर अतिरिक्त) देय होगी। दिनांक 01.07.2020 से दर रूपये 271.25 प्रति घनमीटर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

ठेके के मूल अनुबंध की कोई कंडिका मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के विरूद्ध हो तो मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अनुसार कार्यवाही होगी यदि ये प्रावधान निगम के वित्तीय हितों को प्रभावित न करते हों।

शेष शर्ते ई-नीलामी प्रपत्र, मूल अनुबंध दिनांक 26.05.2016 कार्यादेश दिनांक 16.05.2016 एवं मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का एफ 19-7/2020/12/2 भोपाल, दिनांक 06.06.2020 के अनुसार होंगी ।

उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त इन ठेकों पर बढ़ी हुई अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों द्वारा दिनांक 10/06/2020 को हस्ताक्षरित।

10/06/2020

कार्यपालक संचालक

म0प्र0 राज्य खनिज निगम

दिनांक - म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि. भोपाल

For RSI Stone World Pvt. Ltd

Authorised Signatory

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक -

साक्षी :-

(1) आशुतोष टेमले वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (खान)

(2) एस.सी. नेमा प्रबंधक (सामान्य)

साक्षी :-

(1) Atul Condit Geet Phonerss Bhopal

(2) Utkarsh Jha

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No 1485 /SEIAA/18
Date 9.1.18

To

M/s Shivam Enterprises.
Sub Lessee of M P State Mining Corporation
Prop. Shri Shivam Trivedi, 6 Vaishali Complex, Zone 2
Maharana Pratap Nagar, Bhopal M.P 462011

Sub:- Case No.5896/2017 Prior Environmental Clearance for Raipur -4 Sand Mine on Tawa River (Open cast manual method) in an area of 10.555 Ha for production capacity of 1,68,880 cum per year at Khasra no 126 at Village- Raipur Tehsil – Hoshangabad, Dist. Hoshangabad (MP) by M/s Shivam Enterprises, Sub Lessee of M.P. State Mining Corporation, Prop. Shri Shivam Trivedi, 6 Vaishali Complex, Zone 2, Maharana Pratap Nagar, Bhopal M.P. 462011

This has reference to your letter received in SEIAA office on 06.11.2017 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz. the Form – I, Appendix-1, Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

II. There is no human settlement within 500 m from mining site. There is no forest boundary within 250m from mining site. It lies at geographical co-ordinates at 22°47'28.332"N 77°47'34.446"E, 22°47'31.726"N 77°47'26.764"E, 22°47'19.547"N 77°47'26.261"E, 22°47'19.696"N 77°47'12.470"E.

III. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14th September 2006.

IV. Based on the information submitted as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 462nd meeting dtd 27.12.2017 and decided to accept the recommendations of 300th SEAC meeting dtd 08.12.2017.

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for Raipur -4 Sand Mine on Tawa River (Open cast manual method) having coordinates (22°47'28.332"N 77°47'34.446"E, 22°47'31.726"N 77°47'26.764"E, 22°47'19.547"N 77°47'26.261"E, 22°47'19.696"N 77°47'12.470"E) in an area of 10.555 ha. for production capacity of 1,68,880 cum per year at Khasra no. 126 at Village- Raipur, Tehsil – Hoshangabad, Dist. Hoshangabad.

(MP) for the lease period to **M/s Shivam Enterprises, Sub Lessee of M.P. State Mining Corporation, Prop. Shri Shivam Trivedi, 6, Vaishali Complex, Zone 2, Maharana Pratap Nagar, Bhopal M.P. 462011**, subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions

A. Specific Conditions

1. The production capacity shall be limited to the quantity approved by SEAC
2. No in-stream mining shall be allowed
3. The depth of the pit shall be as per Approved Mining Plan
4. No in-stream mining shall be allowed. No ramp will be allowed within the river basin to transport sand to the other bank. Transportation will be allowed on the bank side where the mineral is being excavated
5. A petition (OA 404/2016, MA 758/2016, MA 920/2016 & MA 1099/2016) has been filed before the Hon'ble NGT (Principal Bench), New Delhi where MP-SEIAA is one of the respondent. Any order by the Hon'ble NGT shall be binding to PP
6. The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others) shall be obligatory on the part of PP
7. **The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site**
8. PP shall ensure proper implementation of plantation, dust suppression, CC approach road construction and maintenance of PWD road as part of Environmental Management Plan. Additional budget provision shall be made as part of EMP
9. PP must ensure implementation of the following activities as committed before SEAC with separate budget provision should be kept under CSR

   a) Contribution for sports activity & extracurricular activities in school & villages area

   b) Contribution for infrastructure development - Community centers, Play Ground, Roads and Drainage System, Installation of Hand Pump

   The modification to the above activities can be made with the permission of the district administration and need based activity for the development of nearby villages shall be implemented by PP in consultation with the District Collector and Gram panchayat.

10. District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year
11. Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages
12. Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachcha, narrow roads
13. If causeway (Rapta) is required to be constructed for mining, it should be removed completely before rainy season every year
14. The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season
15. The lease area should be clearly distinguished and earmarked at the site

16 No diversion of active channel should be allowed for mining.

17 No mining shall be carried out in the area occupied by the river on the western side

18 A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs 12.35 lacks (capital) is made with a recurring expenditure of 04.00 Lacks. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return. Under CSR Rs 03.40 lacks/year is proposed for various activities. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CSR activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement

19 All the mining activities shall be carryout in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 issued by the MoEF&CC

20 The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted

21 The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars

22 PP shall be responsible for discrepancy if any in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA

23. Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks

24 The mining activity shall be done manually

25 NOC of gram panchayat should be obtained for the water requirement

26 Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions

27 For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects flow rate etc and no mining shall be carried out in the safety zone

28 No Mining shall be carried out during Monsoon season

29 The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan

30 Established water conveyance channels should not be relocated straightened or modified

31 If the stream is dry the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom which is a function of local hydraulics hydrology, and geomorphology

32 After mining is complete the edge of the pit should be graded to a 2:5:1 slope in the direction of the flow

33 PP shall take Socio-economic activities in the region through the Gram Panchayat

34 EC will be valid for mine lease period subject to a ceiling of 5 years

35 Mining should be done as per the submitted land use plan submitted by PP

B. Standard Conditions

1 No heavy vehicles shall be allowed to enter the river bed

2 The transporation of the sand from the excavation pits of the leased area to the loading point shall be through trollies (tractor trollies) and not by heavy vehicles

3 Only registered tractor trollies which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for the said purpose

4 The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector, should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region

5 Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled

6 It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin where mining is carried out

7 It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water

8 It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting

9 Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration

10 Parking of vehicles should not be made on public places

11 Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken shall be carried-out regularly

12 Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken

13 The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps

14 Plantation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation should be ensured. No tree felling shall be done in the leased area, except only with the permission from competent authority

15 The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation

16 Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mine workers

17 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects

18 Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site

19 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant officers of the Government

20 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection

21 Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and

attract action under the provisions of Environment (Protection) Act 1986

22 Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010

(P.Narahari)
Member Secretary

Endt No 1486 /SEIAA/18 Dated 9-1-18
Copy to

1 Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh Mantralaya, Bhopal
2 Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-462016
3 Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony, Bhopal-462016
4 Collector, District Hoshangabad, M. P.
5 Divisional Forest Officer, District Hoshangabad, M. P.
6 I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF& CC, GoI, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road New Delhi- 110 003
7 Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016
8 Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khanij Bhawan, Arera Hills, Bhopal - 462002
9 District Mining Officer, District Hoshangabad, M. P.
10 DEO, MPSEIAA – For upload on website
11 Guard file

(Dr. Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No 4518 / SEIAA /16
Date 23.11.16

To,

Shri Sohan Singh Thakur,
M/s Thakur Constructions,
Village-Bamora Bahda Chhparal, Band,
District-Sagar (MP)-452001

Sub:- **Case No. 3866/15** Prior Environment Clearance for **Sand Quarry** (open cast manual method) in an area of 19.746 ha. for production capacity of 1,25,000 cum/year at Khasra No. 226 at Village-Honyapipar, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP) by Shri Sohan Singh Thakur, M/s Thakur Constructions, Village-Bamora Bahda Chhparai, Band, District-Sagar (MP)-452001

This has reference to your letter received in SEIAA office on 30.09.2015 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., the Form – I, Appendix-1 Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

II. There is no National Park/ Sanctuary and interstate boundary within 10 Km radius. There is no human settlement within 500 m. from mining site There is no forest boundary within 250m from mining site.

III. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14th September 2006.

IV. Based on the information submitted as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 363rd meeting dtd.07.11.2016 and decided to accept the recommendations of 51st SEAC- II meeting dtd. 11.10.2016.

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for **Sand Quarry** (open cast manual method) in an area of 19.746 ha. for production capacity of 1,25,000 cum/year at Khasra No. 226 at Village-Honyapipar, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP), for the lease period to Shri Sohan Singh Thakur, M/s Thakur Constructions, Village-Bamora Bahda Chhparai, Band, District-Sagar (MP)-452001, subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

A. Specific Conditions

1. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement.

2 The production capacity shall be limited to the quantity as recommended by SEAC-II.
3. The lease area should be properly demarcated in the presence of the Revenue & Mining Officials and proper boundary stones should be established
4 No in-stream mining shall be allowed. The local authorities should ensure that the mining activity is confined only in the dry portion of the river where sand is exposed
5 The depth of the pit shall be as per Approved Mining Plan and not exceed 3m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less.
6 The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others), shall be obligatory on the part of PP.
7 A petition (OA 404/2016, MA 759/2016, MA 920/2016 & MA 1099/2016) has been filed before the Hon'ble NGT (Principal Bench) New Delhi where MP-SEIAA is one of the respondent. Any order by the Hon'ble NGT shall be binding to PP
8 PP should ensure that no access ramps are made for transportation of sand from the opposite bank of the river
9 PP should ensure to conserve the existing trees
10 No transportation shall be permitted within the village
11 Alternate transportation route should be decided in consultation with the local Gram Panchayat
12 The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site
13 PP will ensure three row plantation towards the village settlement side in the entire length of suitable species three year old to conserve and retain the banks
14 District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year
15. Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages
16 Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachcha, narrow roads.
17 If causeway (Rapta) is required to be constructed for mining. It should be removed completely before rainy season every year
18 The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season
19 No diversion of active channel should be allowed for mining
20 The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted
21 PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA
22 Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks
23 The mining activity shall be done manually
24 Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions.
25 For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate etc., and no mining shall be carried out in the safety zone
26 The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure

that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan

27. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified

28 If the stream is dry the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology

29 After mining is complete the edge of the pit should be graded to a 2.5 1 slope in the direction of the flow.

30. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'

31 Mining should be done as per the submitted land use plan submitted by PP

B. Standard Conditions

1 No heavy vehicles shall be allowed to enter the river bed

2 The transporation of the sand from the excavation pits of the leased area to the loading point shall be through trolies (tractor trolies) and not by heavy vehicles.

3 Only registered tractor trolies which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for the said purpose

4 The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region

5 Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled

6 It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out

7 It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water

8 It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting.

9 Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration

10 Parking of vehicles should not be made on public places

11 Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken shall be carried-out regularly

12 Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken

13 The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps

14 Plantation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation should be ensured. No tree-felling shall be done in the leased area, except only with the permission from competent authority

15 The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation

16 Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking

water for the mine workers.

17 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.

18 Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.

19 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies as applicable, in addition to the relevant officers of the Government.

20 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

21 Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

22 Any appeal against this prior environmental clearance shall be with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

(Anupam Rajan)
Member Secretary

Endt No 4573 / SEIAA/16 Dated 9·11·16
Copy to -

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-4620 16
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
4. Collector, District Hoshangabad, M. P.
5. Divisional Forest Officer, District Hoshangabad, M. P.
6. I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF& CC, GoI, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003.
7. Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016
8. Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khanij Bhawan, Arera Hills, Bhopal – 462002
9. District Mining Officer, District Hoshangabad, M. P.
10. Managing Director, MP State Mining Corporation Ltd., Paryawas Bhawan, Arera Hills, Bhopal – 462002.
11. DEO, MPSEIAA – For upload on website
12. Guard file

(Dr. Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No 4570 / SEIAA /16
Date 29.11.16

To,

Shri Santosh Raj Dwivedi,
Sub Lessee M P State Mining Corporation Ltd
235-A, Kheldar, G T Road, Fatehpur (UP)-212601

Sub:- Case No. 3599/15 Prior Environment Clearance for **Sand Quarry** (open cast manual method) in an area of 20.243 ha. for production capacity of 2,00,000 cum/year at Khsara No 1163 at Village-Nimsadiya, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP) by Shri Santosh Raj Dwivedi Sub Lessee M P State Mining Corporation Ltd., 235-A, Kheldar, G T Road, Fatehpur (UP)-212601

This has reference to your letter received in SEIAA office on 14.08.2015 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., the Form – I, Appendix-1 Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority

II There is no National Park/ Sanctuary and interstate boundary within 10 Km radius. There is no human settlement within 500 m from mining site There is no forest boundary within 250m from mining site

III The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14th September 2006

IV Based on the information submitted as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 383rd meeting dtd 07 11 2016 and decided to accept the recommendations of 52nd SEAC- II meeting dtd 12 10 2016

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for **Sand Quarry** (open cast manual method) in an area of 20 243 ha for production capacity of 2,00,000 cum/year at Khsara No 1163 at Village-Nimsadiya, Tehsil-Hoshangabad District-Hoshangabad (MP) **for the lease period to** Shri Santosh Raj Dwivedi Sub Lessee M P State Mining Corporation Ltd., 235-A, Kheldar, G T Road, Fatehpur (UP)-212601 subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions

A. Specific Conditions

1 PP shall not start mining activity before execution of lease agreement

2 The production capacity shall be limited to the quantity as recommended by SEAC-II.
3 The lease area should be properly demarcated in the presence of the Revenue & Mining Officials and proper boundary stones should be established
4 No in-stream mining shall be allowed. The local authorities should ensure that the mining activity is confined only in the dry portion of the river where sand is exposed
5. The depth of the pit shall be as per Approved Mining Plan and not exceed 3m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less
6 The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others), shall be obligatory on the part of PP
7 A petition (OA 404/2015, MA 758/2016, MA 920/2016 & MA 1099/2016) has been filed before the Hon'ble NGT (Principal Bench) New Delhi where MP-SEIAA is one of the respondent. Any order by the Hon'ble NGT shall be binding to PP
8 PP should ensure that no access ramps are made for transportation of sand from the opposite bank of the river.
9 PP should ensure to conserve the existing trees
10 No transportation shall be permitted within the village
11 Alternate transportation route should be decided in consultation with the local Gram Panchayat
12 The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site.
13. PP will ensure three row plantation towards the village settlement side in the entire length of suitable species three year old to conserve and retain the banks
14 District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year.
15 Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages
16 Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachcha, narrow roads
17 If causeway (Rapta) is required to be constructed for mining. It should be removed completely before rainy season every year
18 The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season
19 No diversion of active channel should be allowed for mining
20 The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department, the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted
21 PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA
22 Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks
23 The mining activity shall be done manually.
24 Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions
25 For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate etc., and no mining shall be carried out in the safety zone
26 The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure

that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan

27 Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified

28 If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology

29 After mining is complete the edge of the pit should be graded to a 2 5 1 slope in the direction of the flow

30. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'

31. Mining should be done as per the submitted land use plan submitted by PP

B. Standard Conditions

1 No heavy vehicles shall be allowed to enter the river bed

2 The transporation of the sand from the excavation pits of the leased area to the loading point shall be through trollies (tractor trollies) and not by heavy vehicles.

3 Only registered tractor trollies which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for the said purpose

4 The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out Collector, should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region

5 Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled

6 It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin where mining is carried out

7 It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity velocity and flow pattern of the river water

8 It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting

9 Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration

10 Parking of vehicles should not be made on public places

11 Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out regularly

12 Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken

13 The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps

14 Plantation programme shall be carried out as per EMP Self sustenance of the vegetation should be ensured No tree-felling shall be done in the leased area, except only with the permission from competent authority

15 The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation

16 Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel.0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No 457 /SEIAA /16
Date 2.12.16

To,

Shri Vishwas Parmani Partner,
M/s Shri Associated Commerce,
Sub Lessee M.P. State Mining Corporation Ltd.,
Nehru Ward, Piparia, Hoshangabad (MP)-466001

Sub.:- Case No. 3492/15 Prior Environmental Clearance for Sand Quarry (Open cast manual method) in an area of 10.486 ha for production capacity of 82,600 cum/year at Khasra No.-87/2 Vill.-Aanchalkheda, Teh.-Babai, District-Hoshangabad (MP) by Shri Vishwas Parmani, Partner, M/s Shri Associated Commerce, Sub Lessee, M.P. State Mining Corporation Ltd Nehru Ward, Piparia, Hoshangabad (MP)-466001

This has reference to your letter received in SEIAA office on 14.07.2015 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., the Form – I, Appendix-1 Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

II. There is no National Park/ Sanctuary within 10 Km radius. There is no human settlement within 500 m from mining site. There is no forest boundary within 250 m from mining site

III. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O 1533 (E), dated 14th September 2006.

IV. Based on the information submitted, as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 385th meeting did 16.11.2016 and decided to accept the recommendations of 54th SEAC-II meeting did 14.10.2016

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for Sand Quarry (Open cast manual method)in an area of 10.486 ha for production capacity of 82,600 cum/year at Khasra No.-87/2, Vill.-Aanchalkheda, Teh.-Babai, District-Hoshangabad (MP) for the lease period to Shri Vishwas Parmani, Partner, M/s Shri Associated Commerce Sub Lessee, M.P. State Mining Corporation Ltd., Nehru Ward, Piparia, Hoshangabad (MP)-466001, subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

A. Specific Conditions

1. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement
2. The production capacity shall be limited to the quantity as recommended by SEAC-II
3. The lease area should be properly demarcated in the presence of the Revenue.

Works Department & Mining Officials and proper boundary stones should be established in such a way that a distance of 200m from the existing road bridge on the southern side should be left as "no mining zone".

4 No in-stream mining shall be allowed. The Mining Officer, Hoshangabad should ensure that the mining activity is confined only in the dry portion of the river where sand is exposed.

5 The depth of the pit shall be as per Approved Mining Plan and not exceed 3m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less.

6 The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others), shall be obligatory on the part of PP.

7 A petition (OA 404/2016, MA 758/2016, MA 920/2016 & MA 1099/2016) has been filed before the Hon'ble NGT (Principal Bench) New Delhi where MP-SEIAA is one of the respondent. Any order by the Hon'ble NGT shall be binding to PP.

8 PP should ensure that no access ramps are made for transportation of sand from the opposite bank of the river.

9 PP should ensure to conserve the existing trees.

10 No transportation shall be permitted within the village.

11 Alternate transportation route should be decided in consultation with the local Gram Panchayat.

12 The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site.

13 PP will ensure three row plantation towards the village settlement side in the entire length of suitable species three year old to conserve and retain the banks.

14 District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year.

15 Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages.

16 Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachcha, narrow roads.

17 If causeway (Rapta) is required to be constructed for mining, it should be removed completely before rainy season every year.

18 The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season.

19 No diversion of active channel should be allowed for mining.

20 The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department; the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

21 PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

22 Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks.

23 The mining activity shall be done manually.

24 Transport vehicles will be covered with tarpaline to minimize dust/sand particle emissions.

25 For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.

26. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
27. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
28. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
29. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
30. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
31. Mining should be done as per the submitted land use plan submitted by PP.

B. Standard Conditions

1. No heavy vehicles shall be allowed to enter the river bed.
2. The transporation of the sand from the excavation pits of the leased area to the loading point shall be through trollies (tractor trollies) and not by heavy vehicles.
3. Only registered tractor trollies which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for the said purpose.
4. The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector, should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region.
5. Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled.
6. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.
7. It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
8. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting.
9. Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration.
10. Parking of vehicles should not be made on public places.
11. Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out regularly.
12. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken.
13. The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps.
14. Plantation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation should be ensured. No tree-felling shall be done in the leased area, except only with the permission from competent authority.
15. The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation.
16. Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking

water for the mine workers.

17 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.

18 Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.

19 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevent officers of the Government.

20 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

21 Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

22 Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

(Anupam Rajan)
Member Secretary

Endt No 4573 / SEIAA/16 Dated 28.12.16
Copy to:-

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-4620 16.
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016.
4. Collector, District Hoshangabad, M. P.
5. Divisional Forest Officer, District Hoshangabad, M. P.
6. I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF& CC, Goi, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110 003.
7. Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016.
8. Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khanij Bhawan, Arera Hills, Bhopal – 462002.
9. District Mining Officer, District Hoshangabad, M. P.
10. Managing Director, MP State Mining Corporation Ltd., Paryawas Bhawan, Arera Hills, Bhopal – 462002.
11. OEO, MPSEIAA – For upload on website.
12. Guard file.

(Dr. Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No. 5430 /SEIAA/17
Date 28.3.17

To

M/s A.D. Agro Pvt. Ltd. Shri Atul Goldal
Sub Lessee M.P. State Mining Corporation Ltd.
18, Sagar Metha Apartment, MG Road Indore (MP)-452001

Sub:- Case No. 3549/2015 Prior Environmental Clearance for Sand Quarry (Open cast manual method) in an area of 11.655 ha. for production capacity of 1,16,500 cum/year at Khasra No.-365, Village-Mehraghat, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP).by M/s A.D. Agro Pvt. Ltd., Shri Atul Goldal, Sub Lessee M.P. State Mining Corporation Ltd., 18, Sagar Metha Apartment, MG Road, Indore (MP)-452001

This has reference to your letter received in SEIAA office on 30.07.2015 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., the Form – I, Appendix-1, Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

II. There is no National Park/ Sanctuary and interstate boundary within 10 Km radius. There is no human settlement within 500 m from mining site. There is no forest boundary within 250 m from mining site.

III. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E) dated 14th September 2006.

IV. Based on the information submitted as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 409th meeting dtd 16.02.2017 and decided to accept the recommendations of 59th SEAC-II meeting dtd. 11.11.2016.

Hence Prior Environmental Clearance is granted for Sand Quarry (Open cast manual method) in an area of 11.655 ha. for production capacity of 1,16,500 cum/year at Khasra No.-365, Village-Mehraghat, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP) for the lease period to M/s A.D. Agro Pvt. Ltd., Shri Atul Goldal, Sub Lessee M.P. State Mining Corporation Ltd., 18, Sagar Metha Apartment, MG Road, Indore (MP)-452001 subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

A. Specific Conditions

1. This EC will be subject to the Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi final orders in OA No 404/2016. No mining operation shall commence on the lease area till the final orders are issued. Mining Officer, Bhind shall be responsible to oversee that PP or his representative shall adhere to this condition.
2. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement.
3. The production capacity shall be limited to the quantity (116500 cum/year)
4. No in-stream mining shall be allowed. The Mining Officer, Hoshangabad should ensure that the mining activity is confined only in the dry portion of the river where sand is exposed.
5. The depth of the pit shall be as per Approved Mining Plan and not exceed 3m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less.
6. The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others), shall be obligatory on the part of PP.
7. PP should ensure that no access ramps are made for transportation of sand from the opposite bank of the river.
8. PP should ensure to conserve the existing trees.
9. No transportation shall be permitted within the village.
10. Alternate transportation route should be decided in consultation with the local Gram Panchayat.
11. The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site.
12. PP will ensure three row plantation towards the village settlement side in the entire length of suitable species three year old to conserve and retain the banks.
13. District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year.
14. Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages.
15. Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachcha narrow roads.
16. If causeway (Rapta) is required to be constructed for mining. It should be removed completely before rainy season every year.
17. The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season.
18. No diversion of active channel should be allowed for mining.
19. The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department, the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks.
22. The mining activity shall be done manually.
23. Transport vehicles will be covered with taurpoline to minimize dust/sand particle emissions.
24. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
25. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining

operations at levels prescribed in the mining plan.

26. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened or modified.

27. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.

28. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

29. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

30. Mining should be done as per the submitted land use plan submitted by PP.

B. Standard Conditions

1. No heavy vehicles shall be allowed to enter the river bed.
2. The transporation of the sand from the excavation pits of the leased area to the loading point shall be through trollies (tractor trollies) and not by heavy vehicles.
3. Only registered tractor trollies which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for the said purpose.
4. The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector, should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region.
5. Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled.
6. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.
7. It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
8. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting.
9. Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration.
10. Parking of vehicles should not be made on public places.
11. Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out regularly.
12. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken.
13. The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps.
14. Plantation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation should be ensured. No tree-felling shall be done in the leased area, except only with the permission from competent authority.
15. The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation.
16. Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mine workers.

17 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.

18 Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site

19 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant officers of the Government

20 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection

21 Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986

22 Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010

(Anupam Rajan)
Member Secretary

Endt No. 5431 / SEIAA/17 Dated [illegible]

Copy to -

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-4620 16
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
4. Collector, District Hoshangabad, M. P.
5. Divisional Forest Officer, District Hoshangabad, M. P.
6. I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF& CC, GoI, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003
7. Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016
8. Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khanij Bhawan, Arera Hills, Bhopal - 462002
9. District Mining Officer, District Hoshangabad, M. P.
10. DEO, MPSEIAA – For upload on website
11. Guard file

(Dr. Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax 0755-2462136

No 5432 / SEIAA /17
Date 6-3-17

To,

Shri R K Nema, DGM.
MP State Mining Corporation, Paryavas Bhawna
Block-A, 2nd Floor, Jail Road Arera Hills, Bhopal (MP)-462011

Sub:- Case No. -5165/16 - Prior Environmental Clearance for **Sand Quarry** (Open cast manual method) in an area of 17.500 ha for production capacity of 2,62,500 cum/year at Khasra No -181/1 Village-Rajon, Tehsil-Babai District-Hoshangabad (MP). By Shri R.K. Nema, DGM MP State Mining Corporation, Paryavas Bhawna Block-A, 2nd Floor, Jail Road Arera Hills Bhopal (MP)-462011.

This has reference to your letter received in SEIAA office on 27.04.2016 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz. the Form – I Appendix-1 Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

II. There is no National Park/ Sanctuary and interstate boundary within 10 Km radius There is no forest boundary within 250 m from mining site.

III. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14th September 2006.

IV. Based on the information submitted, as at Para (III) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 408th meeting dtd 15.02.2017 and decided to accept the recommendations of 53rd SEAC- II meeting dtd. 13.10.2016.

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for **Sand Quarry** (Open cast manual method) in an area of 17,500 ha for production capacity of 2,62,500 cum/year at Khasra No -181/1, Village-Rajon Tehsil-Babai, District-Hoshangabad (MP) for the lease period to Shri R.K. Nema, DGM, MP State Mining Corporation, Paryavas Bhawna, Block-A 2nd Floor Jail Road, Arera Hills Bhopal (MP)-462011, subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

A. Specific Conditions

1. This EC will be subject to the Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi final orders in OA No 404/2016. No mining operation shall commence on the lease area till the final orders are issued. Mining Officer, Hoshangabad shall be responsible to oversee that PP or his representative shall adhere to this condition
2. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement
3. The production capacity shall be limited to the quantity (262500 cum/year).
4. No excavation should be carried out from the agriculture fields as it will affect the river bank. Safe distance should be kept from the agriculture field and only exposed dry portion of the river should be mined. Mining should be carried out leaving 50 m. from the river bank. The river banks should be conserved and plantation be done in three rows
5. No in-stream mining shall be allowed. The Mining Officer, Hoshangabad should ensure that the mining activity is confined only in the dry portion of the river where sand is exposed.
6. The depth of the pit shall be as per Approved Mining Plan and not exceed 3m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less.
7. The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others) shall be obligatory on the part of PP
8. PP should ensure that no access ramps are made for transportation of sand from the opposite bank of the river.
9. PP should ensure to conserve the existing trees.
10. No transportation shall be permitted within the village
11. Alternate transportation route should be decided in consultation with the local Gram Panchayat
12. The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site
13. PP will ensure three row plantation towards the village settlement side in the entire length of suitable species three year old to conserve and retain the banks
14. District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year.
15. Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages.
16. Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachcha, narrow roads
17. If causeway (Rapta) is required to be constructed for mining it should be removed completely before rainy season every year.
18. The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season
19. No diversion of active channel should be allowed for mining.
20. The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department; the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted
21. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA
22. Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks
23. The mining activity shall be done manually.
24. Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions.
25. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be

ensured taking into account the structural parameters location aspects flow rate etc and no mining shall be carried out in the safety zone

26. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan
27. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
28. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology
29. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
30. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'
31. Mining should be done as per the submitted land use plan submitted by PP

B. Standard Conditions

1. No heavy vehicles shall be allowed to enter the river bed
2. The transporation of the sand from the excavation pits of the leased area to the loading point shall be through trollies (tractor trollies) and not by heavy vehicles
3. Only registered tractor trollies which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for the said purpose
4. The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out Collector should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region
5. Mining will be carried out as per the approved Mining Plan In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled
6. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out
7. It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity velocity and flow pattern of the river water
8. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting
9. Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration
10. Parking of vehicles should not be made on public places
11. Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out regularly
12. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken
13. The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps.
14. Plantation programme shall be carried out as per EMP Self sustenance of the vegetation should be ensured No tree-felling shall be done in the leased area except only with the permission from competent authority
15. The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of

transportation

16 Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mine workers.

17 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.

18 Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.

19 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant officers of the Government.

20 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

21 Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

22 Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

(Anupam Rajan)
Member Secretary

Endt No 5433 / SEIAA/17 Dated 9-3-17

Copy to -

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-4620 16
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony, Bhopal-462016
4. Collector, District Hoshangabad, M. P.
5. Divisional Forest Officer, District Hoshangabad, M. P.
6. I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF& CC, GoI, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110 003
7. Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016
8. Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khanij Bhawan, Arera Hills, Bhopal – 462002
9. District Mining Officer, District Hoshangabad, M. P.
10. DEO, MPSEIAA – For upload on website
11. Guard file

(Dr. Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge

16 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the heads of the Local Bodies, Panchayat Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant offices of the Government.

17 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protections.

18 Concealing factual data or submission of false and fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act 1986

19 Any appeal against this prior Environmental Clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act 2010.

(Ritu Chouhan)
Member Secretary, DEIAA

Endt No. 1122 /DEIAA/16 Dated

Copy to :-

1- Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
2- Member Secretary, DEAC, District Hoshangabad, M.P.
3- Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
4- Collector, District, Hoshangabad M.P.
5- Divisional Forest Officer, District Hoshangabad M.P.
6- I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF & CC, GoI, Indra Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road New Delhi- 110003
7- Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road N0. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal – 462016
8- Director, Geology & Mining, Khanij Bhavan, Arera Hills Bhopal M.P.
9- District Mining Officer, District, Hoshangabad, M.P.
10- Guard File.

(Ritu Chouhan)
Member Secretary, DEIAA

16 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the heads of the Local Bodies, Panchayat Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant offices of the Government .

17 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protections.

18 Concealing factual data or submission of false and fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act 1986

19 Any appeal against this prior Environmental Clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act 2010.

(Ritu Chouhan)
Member Secretary, DEIAA

Endt No. 1122 /DEIAA/16 Dated

Copy to :-

1- Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
2- Member Secretary, DEAC, District Hoshangabad, M.P.
3- Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
4- Collector, District, Hoshangebad M.P.
5- Divisional Forest Officer, District Hoshangabad M.P.
6- I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF & CC, GoI, Indra Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road New Delhi- 110003
7- Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road N0. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal – 462016
8- Director, Geology & Mining, Khanij Bhavan, Arera Hills Bhopal M.P.
9- District Mining Officer, District, Hoshangabad, M.P.
10- Guard File.

(Ritu Chouhan)
Member Secretary, DEIAA

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavoran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No 1586 / SEIAA /16
Date 19.5.16

To

M/s Sainik Foods Pvt. Ltd. Sub Lessee of MPSMCL,
Shri Litesh Jha, Authorized Signatory
H.I.G.D.-5, Dindayal Nagar, Phase-1
Kanth Road, Muradabad (UP)-462001

Sub:- Case No.5136/16 Prior Environment Clearance for River Sand Quarry (Opencast Manual Method) in an area of 16.967 ha. for production capacity of 4,40,000 cum/year (as per SEAC recommendation) at Khasra No. 58 at Village-Bedar, Tehsil-Vankhedi District-Hoshangabad (MP) by M/s Sainik Foods Pvt. Ltd., Sub Lessee of MPSMCL, Shri Litesh Jha, Authorized Signatory, H.I.G.D.-5, Dindayal Nagar, Phase-1, Kanth Road, Muradabad (UP)-462001.

This has reference to your letter received in SEIAA office on 07.04.2016 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., the Form – I, Appendix-1 Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

II. There is no National Park/ Sanctuary and interstate boundary within 10 Km radius. There is no forest boundary within 250m from mining site.

III. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E) dated 14th September 2006.

IV. Based on the information submitted as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 327th meeting dtd.05.05.2016 and decided to accept the recommendations of 20th SEAC - II meeting dtd. 26.04.2016.

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for River Sand Quarry (Opencast Manual Method) in an area of 16.967 ha. for production capacity of 4,40,000 cum/year (as per SEAC recommendation) at Khasra No. 58 at Village-Bedar, Tehsil-Vankhedi, District-Hoshangabad (MP) **for the lease period** M/s Sainik Foods Pvt. Ltd., Sub Lessee of MPSMCL, Shri Litesh Jha, Authorized Signatory, H.I.G.D.-5, Dindayal Nagar, Phase-1, Kanth Road, Muradabad (UP)-462001, subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

A. Specific Conditions

1. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement
2. The production capacity shall be limited to the quantity as recommended by SEAC-II
3. The lease area should be properly demarcated in the presence of the Revenue & Mining Officials and proper boundary stones should be established
4. No in-stream mining shall be allowed. The local authorities should ensure that the mining activity is confined only in the dry portion of the river where sand is exposed
5. The depth of the pit shall not exceed 3.0 m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less
6. The final decision of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal and Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in OA No. 49/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others), shall be obligatory on the part of PP
7. PP should ensure that no access ramps are made for transportation of sand from the opposite bank of the river
8. Before commencing the mining activity, site demarcation should be done leaving 100 mtr. from the village settlement as "no mining zone". The demarcation should be done by the Revenue Officials in the presence of Mining Officer, Hoshanabad
9. No transportation shall be permitted within the village
10. Alternate transportation route should be decided in consultation with the local Gram Panchayat
11. The entire lease area should be properly fenced and boundary stones marked at the site
12. PP will ensure three row plantation towards the village settlement side in the entire length of suitable species three year old to conserve and retain the banks
13. District Authority should record the deposition of sand in the lease area at an interval of 100 meters annually in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority may allow lease holder to excavate the replenished quantity of sand in the subsequent year
14. Evacuation of sand should not be allowed through the roads passing through the villages.
15. Heavy vehicles (Hywa) should not be allowed on Kachcha, narrow roads
16. If causeway (Rapta) is required to be constructed for mining, it should be removed completely before rainy season every year
17. The river bank from where access ramps are made should be restored and access should be closed every year before rainy season
18. No diversion of active channel should be allowed for mining
19. 20 meter area be left from the both side of the banks in the OL as no mining area to avoid bank erosion
20. The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department, the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted
21. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
22. Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks above high flood level and a log book be maintained
23. The mining activity shall be done manually
24. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading of sand. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded and in extream summer season hourly road wetting be done
25. The sand shall be transported by small trolleys up to the main transport vehicle

26 Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize outstand particle emissions

27 For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone

28 The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan

29 Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified

30 If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology

31 After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2:5:1 slope in the direction of the flow.

32 PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'

B. Standard Conditions

1 The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region

2 Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled

3 It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin where mining is carried out

4 It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water

5 It shall be ensured that there is no fauna detected on the river bed or areas close to mining for its nesting

6 Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration

7 Parking of vehicles should not be made on public places

8 Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out regularly

9 Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken

10 The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps

11 Plantation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation should be ensured. No tree felling shall be done in the leased area except only with the permission from competent authority

12 The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation

13 Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mine workers

14 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and

they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.

15. Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.

16. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant officers of the Government.

17. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

18. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

19. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

(Ajatshatru Shrivastava)
Member Secretary

Endt No 1527 /SEIAA/16 Dated 19.5.18
Copy to

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh Mantralaya, Bhopal.
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-4620 16.
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony, Bhopal 462016.
4. Collector, District Hoshangabad, M.P.
5. Divisional Forest Officer, District Hoshangabad, M.P.
6. I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF& CC, GoI, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110 003.
7. Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016.
8. Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khanij Bhawan, Arera Hills, Bhopal – 462002.
9. District Mining Officer, District Hoshangabad, M.P.
10. Guard file.
11. M.D. M.P. S.M.C. Bhopal M.P.

(Dr. Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)
Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony
Bhopal-462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel 0755-2466970, 2466859
Fax 0755-2462136

No 1179 / SEIAA /16
Date 3.5.16

To,
Shri Raj Kumar Nema, OIC,
Sub Off M.P. State Mining Corporation Ltd
H No 12 Ward No 17, Sainath Colony
Meenakshi Hoshangabad (M.P.) 461001
Mob 9406525394 Email mpsmcl.hbd@yahoo.in

Sub. Case No. - 2931/2015 Prior Environmental Clearance for **River Sand Mine** (opencast **manual method**) in an area of **12.145** Ha. for production capacity of **1,10,000 cum/year**, at **Khasra no.**-60, Vill.- Divlakhedi, **Teh.**-Hoshangabad, District Hoshang**abad (M.P.) by Shri Raj Kumar** Nema, OIC, Sub Off., M.P. State Mining Corporation Ltd., H. No. 12 Ward No. 17, Sainath Colony, Meenakshi, Hoshangabad (M.P.)-461001

This has reference to your application received in SEIAA office on 20.04.2015 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., the Form – I, Appendix-1, Mining Plan, EMP and the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

ii. There is no National Park/Sanctuary and interstate boundary within 10 Km radius. There is no human settlement within 500m from mining site. The forest boundary is 20 km from mining site.

iii. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14th September 2006.

iv. Based on the information submitted as at Para (ii) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 319th meeting dtd. 20.04.2016 and decided to accept the recommendations of 17th SEAC-II meeting dtd. 06.04.2016.

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for **River Sand Mine (opencast manual method)** in an area of 12.145 Ha. **for production** capacity of 1,10,000 **cum/year**, at Khasra no.-60, at Vill.- Divlakhedi, Teh.-**Hoshangabad**, District Hoshangaba**d (MP) for the lease period** to Shri Raj Kumar Nema, OIC, **Sub Off. M.P. State Mining Corporation** Ltd., H.No. 12 Ward No. 17, Sainath Colony, **Meenakshi, Hoshangabad (M.P.)-461001** subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent standard conditions.

Specific Conditions

1. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement.
2. The production capacity shall be limited to the quantity proposed by SEAC-II.
3. The lease area should be properly demarcated in the presence of the Revenue & Mining Officials and proper boundary stones should be established.

Endt No 1180 /SEIAA/16 Dated 3/5/16

Copy to

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh Mantralaya, Bhopal
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-4620 16
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
4. Collector, District Hoshangabad M. P.
5. Divisional Forest Officer, District Hoshangabad M. P.
6. I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF & CC, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi 110 003
7. Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016
8. Director, Geology & Mining, Khanij Bhavan, Arera Hills Bhopal M.P.
9. District Mining Officer, District, Hoshangabad, M. P.
10. Guard file

(Dr. R.K. Jain)

Officer-in-Charge

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele . 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM	CCA-Renewal	CONSENT NO. ***	PCB ID: 109364

Outward No:100443,15/06/2020 Consent No:AW-51686

To,

The Occupier,
M/s. The M.P.State Mining Corporation Ltd. (Raipur Sand Mine10.55 Hect.) ,Hoshangabad,
Kh.No. 126 (Tawa River Left Bank), Village-Raipur, Tehsil & Distt.-Hoshangabad,
City - Raipur,
Tal : Hoshangabad, Dist : Hoshangabad, (M.P.)

Subject: **Grant of Renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981**

Ref:
1. Your Renewal of Consent Application Receipt No. 1003110 Dt. 11/06/2020
2. M.P.State Mining Corporation ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for Renewal of Consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to **31/03/2021**, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: Lat. & Long – 1) 22° 47 28.332" N & 77° 47 34.406" E (2) 22° 47 31.726" N & 77° 47 26.764" E (3) 22° 47 19.547" N & 77° 47 26.261" E (4) 22° 47 19.696" N & 77° 47 12.170" E,
Kh.No. 126 (Tawa River Left Bank), Village-Raipur, Tehsil & Distt.-Hoshangabad , (M.P.)

b.Mining Lease areae capital 10.55 ha

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Sand	168880 Cubic Meter per year

Note:- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.
2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.
3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ)on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
4) Mine management shall complied with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining Issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures.-
* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* Genral conditions

CC to :-
1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad Dist. Hoshangabad (M.P.) for information.
... ning Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
... er, Regional office, MPPCB, Mandideep (M.P.)

e-Signed On 15/06/2020 13:54:58
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TFAV # EEK9JI4VW3

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.40 KL/day

2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD 5 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results:-
Monitoring information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-
The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

7. Disposal of Collected Solid waste-
Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish. Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition :

Mine management should provide toilets for labour.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
   a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 μg/m³ (PM10 μg/m³ 24 hrs. basis)
   b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 μg/m³ (PM2.5 μg/m³ 24 hrs. basis)
   c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 μg/m³
   d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 μg/m³
   e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 μg/m³

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:-

1) Mine management shall provide pucca road for material transportation.
2) Mine management shall not use village road for transportation.
3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the presentation of credentials:

a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.

b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent; or,

e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

2. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

5. Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation.

7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional conditions:

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3 .0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with taurpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comply with the relevant Acts/Rules, directions, guide lines issued by

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

Achyut mishra

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

e-Signed On 15/06/2020 13:54:58
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # EEK9J14VW3

Consent No:AW-51686

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM	CCA-Renewal	CONSENT NO: ***	PCB ID: 109220

Outward No:100444,15/06/2020

Consent No:AW-51687

To,

The Occupier,
M/s. The M.P.State Mining Corporation Ltd./ Horiyapipar Sand Mine-19.74 Hect.), H'Bad,
Kh. no. 226, Village- Horiyapipar, Tehsil & distt. Hoshangabad,
City : Horiyapipar,
Dist : Hoshangabad, Tal : Hoshangabad, SIDC : Not In SIDC

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref:
1. Your Consent to Operate Application Receipt No. 1002918 Dt. 11/06/2020
2. M P State Mining Corporation ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: Kh. no. 226, Village- Horiyapipar, Tehsil & distt. Hoshangabad , Horiyapipar , Hoshangabad, Hoshangabad

b. The Mining lease area: 19.74 Hect

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of River Sand	125000.00 Cubic Meter Per Year

Note:- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.
2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.
3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ)on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
4) Mine management shall complied with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-
* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

e-Signed On 15/06/2020 15:40:46
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # HC8IY5K4CA

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.80 KL/day

2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD3 Days 27°C	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis
iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results:-
Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-
The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

7. Disposal of Collected Solid waste-
Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish. Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition.

Mine management should provide toilets for labors.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures. the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
   - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)
   - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)
   - c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
   - d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
   - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:-

1) Mine management shall provide pucca road for material transportation.
2) Mine management shall not use village road for transportation.
3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

Consent Order

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.

b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent; or,

e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants

2. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations

4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

5. Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.

(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.

(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry

Additional conditions:

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity
7. Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comply with the relevant Acts/Rules, directions, guide lines issued by

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

e-Signed On 15/06/2020 15:40:46
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # HC8EV5K#CA

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM	CCA-Renewal	CONSENT NO: ***	PCB ID: 109190

Outward No:100440,15/06/2020 **Consent No:AW-51683**

To,

The Occupier,
M/s. The M.P.State Mining Corporation Ltd. (Nimsadiya Sand Mine- 20.243 Hect.), Hbad.
Shri Santosh Raj Dwivedi
Kh. No. 1163, Vill-Nimsadiya, Tehsil & Dist.-Hoshangabad,
City : Nimsadiya,
Dist : Hoshangabad, Tal : Hoshangabad, SIDC : Not In SIDC

Subject: Grant of renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref:
1. Your Consent to Operate Application Receipt No. 1003104 Dt. 11/06/2020
2. M P State Mining Corporation ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for renewal of consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: Latitude 22.43^{0} - 41.03" to 22.43^{0} - 59.06" N & Longitude 77.49^{0} - 11.94^{0} to 77.49^{0} - 31.70^{0} E.
Kh. No. 1163, Vill-Nimsadiya, Tehsil & Dist.-Hoshangabad , Nimsadiya, Hoshangabad, Hoshangabad

b. The Mining lease area: 20.243 Hect

c. Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Mining of Sand	200000.00 Cubic Meter Per Year

Note:- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.
2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board
3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ)on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
4) Mine management shall complied with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-
* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

CC to :-
1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad Dist. Hoshangabad (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. Regional officer, Regional office, MPPCB, Mandideep (M.P.)

e-Signed On 15/06/2020 13:04:02
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # TFG4D716Q9

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 3.00 KL/day

2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD5 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis
iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results:-
Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-
The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

7. Disposal of Collected Solid waste-
Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to waters body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition.

Mine management should provide toilets for labours.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

Consent Order

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated. 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
   a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)
   b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)
   c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
   d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
   e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:

1) Mine management shall provide pucca road for material transportation.
2) Mine management shall not use village road for transportation.
3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

Consent Order

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board

b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,

e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants

2. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

5. Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.

(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.

(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional conditions:

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3 .0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys .No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with taurpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comp[illegible] Acts/Rules, directions, guide lines issued by

Consent No.: AW-51683

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and. If applicable.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

e-Signed On 15/06/2020 13:04:02
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # TFG4D716Q9

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent No:AW-51683

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM	CCA-Renewal	CONSENT NO: ***	PCB ID: 109215

Outward No:180442,15/06/2020

Consent No:AW-51685

To,

The Occupier,
M/s. The M.P.State Mining Corporation Ltd.(Aanchalkheda Sand Mine-10.486 Hect), HBad.
Kh.No. 87/2, Village-Aanchalkheda, Tehsil-Babai, Distt.-Hoshangabad,
City : Aanchalkheda,
Dist : Hoshangabad, Tal : Babai, SIDC : Not In SIDC

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref:
1. Your Consent to Operate Application Receipt No. 1003107 Dt. 11/06/2020
2. M P State Mining Corporation ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein, The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: Kh.No. 87/2, Village-Aanchalkheda, Tehsil-Babai, Distt.-Hoshangabad

b. The Mining lease area: 10.486 Hect

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of River Sand	82600.00 Cubic Meter Per Year

Note:- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.
2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.
3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 18/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ)on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
4) Mine management shall complied with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures.-
* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

CC to :-
1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad Dist. Hoshangabad (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. Regional officer, Regional office, MPPCB, Mandideep (M.P.)

e-Signed On 15/06/2020 13:53:44
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # OPOMNS146X

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.40 KL/day

2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD5 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results:-
Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-
The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses

7. Disposal of Collected Solid waste-
Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water conditions:

Mine management should provide toilets for labours

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2464191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E) dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
   a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)
   b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)
   c. Sulphur Dioxide [SO_2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
   d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
   e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:-

1) Mine management shall provide pucca road for material transportation.
2) Mine management shall not use village road for transportation.
3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PUC certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

Consent Order

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.

b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,

e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

2. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

5. Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation.

7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.

(b) Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.

(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys .No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with taurpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comply with all the Acts/Rules, directions, guide lines issued by

This Certificate generated from ... is valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online ... using "TPIN" Number.

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P Pollution Control Board

e-Signed On 15/06/2020 13:53:44
(Organix Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # OFOMNS146X

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent No: AW-51685

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM	CCA-Renewal	CONSENT NO: ***	PCB ID: 110945

Outward No:100441,15/06/2020 Consent No:AW-51684

To,

The Occupier,
M/s. The M.P.State Mining Corporation Ltd.(Mehraghat Sand Mine-11.655Hect)Hoshangabad,
Kh.No.365, Village-Mehraghat, Tehsil & Distt.-Hoshangabad,
City : Mehraghat,
Tal : Hoshangabad, Dist : Hoshangabad, (M.P.)

Subject: Grant of Renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref:
1. Your Renewal of Consent Application Receipt No. 1003109 Dt. 11/06/2020
2. M P State Mining Corporation ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for Renewal of Consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: Latitude and Longitude: (A) 22° 40' 49.39"N & 77° 50' 25.33"E (B) 22° 40' 55.50"N & 77° 50' 43.08"E (C) 22° 41' 02.53"N & 77° 50' 40.80"E (D) 22° 40' 56.21"N & 77° 50' 22.76' E.
K.No. 365, Area 11.655 Ha , Village-Mehraghat, Tehsil & Distt.-Hoshangabad , (M.P.)

b. Mining Lease area: 11.655 ha

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Sand	1,16,500 Cubic Meter per year

Note:- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.
2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.
3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ)on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
4) Mine management shall complied with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to **31/03/2021** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization.
Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required

Enclosures:-
* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

CC to :-
1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad Dist. Hoshangabad (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. ...neer, Regional office, MPPCB, Mandideep (M.P.)

e-Signed On 15/06/2020 13:05:20
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # X6214J6V7

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.40 KL/day

2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards.

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD 3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis ?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis
iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results:-
Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-
The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

7. Disposal of Collected Solid waste-
Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to esers body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:

Mine management should provide toilets for labors.

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows
   a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)
   b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)
   c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
   d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
   e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:-

1) Mine management shall provide pucca road for material transportation
2) Mine management shall not use village road for transportation
3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements
4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal 462 016 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors premises etc to perform the functions of the Board.

b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent; or,

e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

2. This consent/authorisation is transferable. In case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Director/proprietor should immediately apply for the same.

3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

5. Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation.

7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.

(b) Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.

(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as cancelled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional conditions:

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with tarpolline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comply with the Mines Act, Rules, directions, guide lines issued by

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P Pollution Control Board

e-Signed On 15/06/2020 13:05:20
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # X62214J6V7

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

This Certificate generated from xgn.mpcb.in are valid and does not require physical signatures. the certificate can be validated online from xgn.mpcb.in using "TPAV" Number.

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM	CCA-Renewal	CONSENT NO: ***	PCB ID: 110840

Outward No:100437,15/06/2020 **Consent No:AW-51680**

To,

The Occupier,
M/s. The M.P. State Mining Corporation Ltd.(Rajon Sand Mine - 17.500 Hect.), Hbad,
Kh. no. 181/1, Village : Rajon, Teh: Babai, Distt. Hoshangabad,
City : Rajon,
Tal : Babai, Dist : Hoshangabad, (M.P.)

Subject: Grant of Renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref:
1. Your Renewal of Consent Application Receipt No. 1003108 Dt. 11/06/2020
2. M P State Mining Corporation ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for Renewal of Consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: Lat. & Long (A) 22° 40' 24.30"N & 77° 55' 12.37"E., (B) 22° 40' 24.55"N & 77° 55' 28.12"E.(C) 22° 40' 46.06"N & 77° 55' 22.34"E (D) 22° 40' 44.65"N & 77° 55' 14.38"E ,
Kh. no. 181/1, Village Rajon, Teh Babai, Distt Hoshangabad , (M.P.)

b. Mining Lease area: 17.500 ha

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
MINING OF SAND	2,62,500 Cubic Meter Per Year

Note:- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.
2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.
3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ)on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining
4) Mine management shall complied with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-
- Conditions under Water Act
- Conditions under Air Act
- General conditions

CC to :-
1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad Dist. Hoshangabad (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. ...er, Regional office, MPPCB Mandideep (M.P.)

e-Signed On 15/06/2020 12:59:39
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # I5ULH268A7

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.70 KL/day

2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD5 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants; all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii) Who performed the analysis?
(iv) The analytical techniques or methods used and
(v) The result of all required analysis.

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses,

7. Disposal of Collected Solid waste-

Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:

Mine management should provide toilets for labors.

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR [PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION] ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
   a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)
   b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)
   c. Sulphur Dioxide (SO2) (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
   d. Nitrogen Oxides (NOx) (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
   e. Carbon Monoxide (CO) (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:-

1) Mine management shall provide pucca road for material transportation.
2) Mine management shall not use village road for transportation.
3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele - 0755-2466191, Fax 0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

   a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.

   b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

   c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

   d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent; or,

   e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

2. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

5. Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation.

7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

   (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.

   (b) Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.

   (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys .No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with taurpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comp [illegible] Acts/Rules, directions, guide lines issued by

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.

Consent/authorization as required under the : Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

e-Signed On 15/06/2020 12:59:39
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # I5ULH268A7

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Mandideep
Plot 28C, Sector New
Industrial Area
Mandideep
Tele : 9340299512

RED-SMALL	CCA-Renewal	CONSENT NO: ***	PCB ID: 107114

Outward No: 1034 13/06/2020 NO: /MPPCB/RND

Consent No: AW-76603

To,

The Occupier,
M/s. The M.P.State Mining Corporation Ltd.(Lessee)
M/s Sainik Industries Pvt Ltd (Sub Lessee)
(Kasda Raiyot Sand Mine-4.00 Hect.)
Flat No. 201 & 202, Vikas Plaza Building No. 2,
Local Shopping Centre, Kalkaji,
New Delhi – 110019

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1003110 Dt. 11/06/2020

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter.

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: Kh.No. 18, Village-Kasda Raiyatwadi, Tehsil-Itarsi, Distt.-Hoshangabad.

b. The capital investment in lakhs: Rs. 20 Lakh

c. Product & Production Capacity:

PRODUCT	CAPACITY / YEAR
Mining of River Sand	118800 M^3 *(One Lakh Eighteen Thousand Eight Hundred Cubic Meter per Year Only)*

Note:- *1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance.*
2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.
3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ)on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
4) Mine management shall complied with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020.

The Validity of the consent is up to **31/03/2021** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-
* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation. Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.

eSign Signing from UIDAI server
Digitally Sign with Aadhaar

e-Signed On 13/06/2020 17:23:59
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # GO2UOKOSWH

RISHIRAJ SINGH SENGAR
Regional Officer

M.P. Pollution Control Board - Mandideep
Plot 28C, Sector New
Industrial Area
Mandideep
Tele : 9340299512

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.800 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:- No trade effluent generation shall be permitted.

3. Sewage Treatment :- Adequate Septic tank – Soak pit and land application.

Sr.	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 14.000	WWG : 0.800	Water Source
1	Domestic Purpose	2.000	0.800	Tankers
2	Dust Suppression	12.000	0.000	Tankers

4. Computation of Monitoring data-

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge

ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

5. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii) Who performed the analysis?
(iv) The analytical techniques or methods used and
(v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

6. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

7. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:- The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

M.P. Pollution Control Board - Mandideep
Plot 28C, Sector New
Industrial Area
Mandideep
Tele : 9340299511

8. Limitation of visible floating solids and foam:
During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam

9. Disposal of Collected Solid waste/sludge-
All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to caters body habitat.

10 Provision for Electric Power Failure-
The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

11. Prohibition of By pass systems of treatment facilities-
The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except :
i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage; or
ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

12. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

Name of section	Capacity	Control equipment to be installed	P.M, SOX, NOX(mg/NM3)
Material Handling	materialloading/unloading	Water Sprinkler,	SPM - 600 microgram/m3 at 10m from source
Process	manual mining	Water Sprinkler,	SPM - 600 microgram/m3 at 10m from source
Transportation	truck cover by tarpaulin	Hood Cover,	SPM - 600 microgram/m3 at 10m from source
Vehicular Movement	vehicular path	Water Sprinkler,	SPM - 600 microgram/m3 at 10m from source

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)
b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)
c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
4. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance
5. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises
6. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

This Certificate generated from.xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPA#" Number.

M.P. Pollution Control Board - Mandideep
Plot 28C, Sector New
Industrial Area
Mandideep
Tele : 9340299512

7. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in additional condition.

Additional Air condition:-

(1) Fugitive dust emission from all the sources should be controlled effectively and duly monitored Water spraying arrangement on haul roads, material loading & unloading points etc should be provided and properly maintained.

(2) Transportation of material from mine shall be carried out only after providing suitable tarpaulin cover over transportation vehicle to prevent dust emission in the atmosphere during transportation.

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal in dumping site. If required.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
   a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
   b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
   c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
   d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
   e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation.

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
   (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
   (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
   (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as cancelled and necessary action will be initiated against the industry.

M.P. Pollution Control Board - Mandideep
Plot 28C, Sector New
Industrial Area
Mandideep
Tele : 9340299512

Consent Order

Additional condition:-

1. Mine shall ensure compliance of all the conditions mentioned in Environmental Clearance order issued by DEIAA, Hoshangabad on 16.05.2016.
2. Mine shall comply the provisions of all the relevant Acts/Rules/Directions/Guidelines issued by MoEF/CPCB/MPPCB time to time as required and if applicable.
3. Mine shall comply the Directions/ Orders issued by Hon'ble Supreme Court/ High Court/ NGT time to time in the relevant Writ Petitions.
4. In stream sand excavation shall not be allowed
5. Mining shall be carried only during non monsoon period .
6. Mine shall ensure that there will not be any impact in natural course of river due to mining of sand.
7. The average depth of the pit shall not exceed 3m or normal water level prevalent in the lean season whichever is less.
8. The mining activity shall be done manually.
9. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks of river for loading of sand. The sand shall be transported by small trolleys up to main transport vehicle.
10. If the stream is dry. The excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
11. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated straightened or modified.
12. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its natural course.
13. The Board reserves the rights to amend cancel any of the above condition as a whole or in par as and when deemed necessary.
14. After notice and/or opportunity of hearing this consent can be modified. Amended, revoked or withdrawn in whole on in part by this Board.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorization. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

e-Sign
e-Signed On 13/06/2020 17:23:59
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # GO2UOKOSWH

RISHIRAJ SINGH SENGAR
Regional Officer

Consent No:AW-76603

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM	CCA-Renewal	CONSENT NO: ***	PCB ID: 97052

Outward No:100439,15/06/2020

Consent No:AW-51682

To,

The Occupier,
M/s: The M.P.State Mining Corporation Ltd.(Bedar Sand Mine-16.967 Hect.) ,HBad,
Kh.No. 58, Village-Bedar, Tehsil-Bankhedi, Distt.-Hoshangabad,
City : Bedar,
Tal : Bankhedi, Dist : Hoshangabad, (M.P.)

Subject: Grant of Renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: 1. Your Renewal of Consent Application Receipt No. 1003112 Dt. 11/06/2020
2. M P State Mining Corporation ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract.

With reference to your above application for Renewal of Consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 31/03/2021, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: [Lat & long:- (A) 22 56'55.05"N & 78 30'11.12"E (B) 22 56'51.04"N & 78 30'38.02"E (C) 22 57'01.33"N & 78 30'37.00"E (D) 22 57'03.26"N & 78 30'16.38"E , Kh.No. 58, Village-Bedar, Tehsil-Bankhedi, Distt.-Hoshangabad (M.P.) , Kh.No. 58, Village-Bedar, Tehsil-Bankhedi, Distt.-Hoshangabad (M.P.)]

b. Mining Lease area: 16.967 ha

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Sand	4,40,000 Cubic Meter Per year.

Note- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance
2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.
3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 27/2019 (CZ)on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.
4) Mine management shall complied with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to 31/03/2021 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-
* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

CC to :-
...g Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad , Dist. Hoshangabad , (M.P
...ning Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
...er, Regional office, MPPCB, Mandideep (M.P.)

e-Signed On 15/06/2020 13:01:37
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 8525XF9YKD

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.80 KL/day

2. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD 3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement or samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows

(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii) Who performed the analysis?
(iv) The analytical techniques or methods used and
(v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

7. Disposal of Collected Solid waste-

Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

Mine management should provide toilets for labors.

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavarn Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
   a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)
   b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)
   c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
   d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
   e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air condition:-

1) Mine management shall provide pucca road for material transportation.
2) Mine management shall not use village road for transportation.
3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

This Certificate generated from xps.mpcb.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xps.mpcb.in using "TRAN" Number.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.

b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent or,

e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

2. This consent/authorization is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

5. Balance consent/ authorization fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation.

7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following .

(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional conditions:

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3. 0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 3.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comp[illegible]Acts/Rules, directions, guide lines issued by

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 . The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

e-Signed On 19/06/2020 13:01:37
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 8525XF9YKD

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent No:AW-51682

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM	CCA-Renewal	CONSENT NO: ***	PCB ID: 96401

Outward No:190438,15/06/2020

Consent No:AW-51681

To,

The Occupier,
M/s. The M.P.State Mining Corporation Ltd.(Divalakhedi Sand Mine- 12.145 Hect.), HBad,
Kh.No.60, Village-Divlakhedi, Tehsil & Distt.-Hoshangabad,
City : Divlakhedi,
Tal : Hoshangabad, Dist : Hoshangabad,

Subject: Grant of Renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref:
1. Your Renewal of Consent Application Receipt No. 1003111 Dt. 11/06/2020
2. M.P State Mining Corporation ltd Letter no 967 dated 10/06/2020 regarding extension of contract

With reference to your above application for Renewal of Consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to **31/03/2021**, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :

a. Location: Kh.No.60, Village-Divlakhedi, Tehsil & Distt.-Hoshangabad , (M.P.) [Lat –long: 22° 42' 8.49" – 77° 50' 3.02", 22° 42' 8.38" – 77° 50' 12.50", 22° 42' 27.13" – 77° 50' 12.26", 22° 42' 26.65" – 77° 50' 1.81"]

b. Mining Lease area: 12.145 ha

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Sand	1,10,000 Cubic Meter per year.

Note:- 1) Mine Management shall ensure that the mine shall operate with valid mining lease and valid Environmental Clearance. As per OM dated 25/03/2020 of MoEF&CC the validity of EC is extended till 30/06/2020 therefore after 30/06/2020, mine shall operate with valid environmental clearance.

2) For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board.

3) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ)on dated 26/11/2019 and in OA 360/2015 (PB) pertaining to sustainable sand Mining.

4) Mine management shall complied with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020

The Validity of the consent is up to **31/03/2021** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-
- Conditions under Water Act
- Conditions under Air Act
- General conditions

CC to :-
1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Hoshangabad Dist. Hoshangabad (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. Regional officer, Regional office, MPPCB, Mandideep (M.P.)

e-Signed On 15/06/2020 13:00:08
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # FF4RGOC872

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in is valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.80 KL/day

2. Sewage Treatment - The applicant shall provide septic tank and soak pit around 100 meter away from the bank of the river and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l
BOD5 Days 20 °C	Not exceed	30 mg/l
COD	Not exceed	250 mg/l

3. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

4. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis
iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

5. Reporting of Monitoring Results -
Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

6. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-
The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

7. Disposal of Collected Solid waste-
Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish. Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to o their body habitat.

8. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water conditions

Mine management should provide toilets for labors.

Consent No.AW-51081

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
   a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 μg/m³ (PM10 μg/m³ 24 hrs. basis)
   b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 μg/m³ (PM2.5 μg/m³ 24 hrs. basis)
   c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 μg/m³
   d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 μg/m³
   e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 μg/m³

2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.

5. PP shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species for general improvement of environmental conditions.

Additional Air conditions :

1) Mine management shall provide pucca road for material transportation.
2) Mine management shall not use village road for transportation.
3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TCAV" Number.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : #755-2466191, Fax-#755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

   a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.

   b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

   c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

   d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent, or,

   e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

2. This consent/authorisation is transferable. in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

3. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

4. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

5. Balance consent/ authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

6. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation.

7. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

8. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to the following :

   (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
   (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
   (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

9. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:

1. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
2. The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated straightened or modified.
3. Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
4. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
5. The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys. No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity.
7. Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comp[illegible] Acts/Rules, directions, guide lines issued by

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

e-Signed On 15/06/2020 13:00:08
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # FF4RGOC872

Achyut mishra

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

Consent No:AW-51681

संलग्नक (03)

मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का एक उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय-
पर्यावास भवन, ब्लाक नं. 1
द्वितीय तल (ए)
जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011
दूरभाष-2763391, 2763392
Email-info.mpsmc@mp.gov.in
CIN U01410MP1962SGC000937

सम्भागीय कार्यालय
भीरस चौक, आनन्द बैंक के पास
(प्रथम तल) आई.टी.आई. रोड
होशंगाबाद (म.प्र.) 46100
फोन. 07574-25702
Website : www.mpsmcl.co
Email-mpsmchoshangabad123@gmail.co

पत्र– क्र0हो0बाद / रेत / 2020–2021 / 454

दिनांक 23.11.2020

प्रति,

श्रीमान् जिलाध्यक्ष महोदय
(खनिज शाखा)
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

विषय – होशंगाबाद जिले में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत के संबंध में

संदर्भ –1. मुख्यालय पत्र क्र. रेत / नोडा–08 / 2020 / 2612 भोपाल दिनांक 20.11.2020

2. डॉ0 संजीव सचदेव, प्रभारी अधिकारी राज्य पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण का पत्र क्रं 4837 / सिया / 2020 दिनांक 10.11.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत होशंगाबाद जिले में रेत का अवैध उत्खनन की शिकायत श्री रोहन लाल झा के द्वारा राज्य पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण में ई–मेल के माध्यम से दिनांक 09.11.2020 को की गई है। जिसके तहत राज्य पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी का पत्र क्र0 4837 दिनांक 10.11.2020 को प्राप्त हुआ है। छायाप्रति सुलभ अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

बिन्दु क्र0 05 में शिकायतकर्ता ने यह उल्लेख किया है, कि वर्तमान में होशंगाबाद जिले की संचालित 09 रेत खदानों की वैधानिक सम्मतियों की अवधि समाप्त हो गई है। जबकि उक्त रेत खदानों के पूरक अनुबंध उपरांत ठेकेदारों द्वारा पुनः वैधानिक सम्मतियाँ दिनांक 31 मार्च 2021 तक के लिए प्राप्त कर निगम में प्रस्तुत कर दी गई थी।

अतः जिले में अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षरित
उप महाप्रबंधक (भौमिकी)
संभागीय कार्यालय होशंगाबाद
दिनांक 23.11.2020

पृ0– क्र0हो0बाद / रेत / 2020–2021 /

प्रतिलिपि,

1. श्रीमान् कार्यपालक संचालक महोदय, मुख्य कार्यालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

हस्ताक्षरित
उप महाप्रबंधक (भौमिकी)
संभागीय कार्यालय होशंगाबाद

तैलग्नक - (04)

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

दूरभाष : 2763391, 2763392, 2763393
फैक्स : 0755- 2763394
e-mail : info.mpsmc@mp.gov.in
Website : www.mpsmcl.mp.gov.in
CIN : U01410MP1962SGC000937

पंजीकृत कार्यालय :
पर्यावास भवन, ब्लाक नं 1 (ए)
द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

क्रमांक/रेत/नं.क्र.07/2021/ 2871 दिनांक :- 13/01/2021

प्रति,

कलेक्टर,
जिला होशंगाबाद,
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के तहत सफल निविदाकर्ता के साथ निष्पादित अनुबंध के संबंध में।

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत आमंत्रित निविदा कार्यवाही में **जिला होशंगाबाद** हेतु मेसर्स/ आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0 अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) का चयन कर जिला समूह होशंगाबाद हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंध पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। खदानों का विवरण संलग्न सूची अनुसार है-

1. संपूर्ण जिला समूह होशंगाबाद की रेत खदानों का अनुबंध पत्रक।
2. जिला होशंगाबाद की 20 रेत खदानों का अनुबंध पत्रक।

(डॉ0 वरद मूर्ति मिश्र)
कार्यपालक संचालक

पृ. क्रमांक/रेत/नं.क्र.07/2021/ दिनांक :-
प्रतिलिपि -

1- संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 को सूचनार्थ।
2- खनि अधिकारी, जिला होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- प्रभारी अधिकारी संभागीय/ उप कार्यालय होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यपालक संचालक

जिला होशंगाबाद समूह की 20 रेत खदानों की सूची :-

क्र	जिला	तहसील	खदान	खसरा क्र.	रकबा (हे.)
1.	होशंगाबाद	पिपरिया	सुरेलाकला	1	8.377
2.	होशंगाबाद	पिपरिया	सिमोडी	206	6.000
3.	होशंगाबाद	बाबई	सांगाखेड़ा खुर्द	1	10.000
4.	होशंगाबाद	सोहागपुर	रैवामोहारी	114	10.000
5.	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	रामगढ़- 2	11	11.000
6.	होशंगाबाद	बाबई	राजौन- 2	1811	17.500
7.	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	रामगढ़- 1	11	11.000
8.	होशंगाबाद	बाबई	राजौन- 1	1811	17.5000
9.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	रायपुर -4	126 (New 207)	10.555
10.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	मेहराघाट-10	565	11.655
11.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	निमासाडिया-2	1163	20.243
12.	होशंगाबाद	इटारसी	मगोड़ा-1	1	22.500
13.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	जासलपुर-2	69/1	10.000
14.	होशंगाबाद	पिपरिया	जमारा	[illegible]	19.938
15.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	हाथियापीपर	220	19.746
16	होशंगाबाद	होशंगाबाद	टेकलाखेड़ी	60	12.135
17.	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	गुरजघाट	101	9.000
18.	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	ईदी-2	291,559	6.433
19.	होशंगाबाद	पिपरिया	डाहिया किशोर-2	115	8.522
20.	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बैंदर	38	[illegible]

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स** आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड **कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति** श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'ठेकेदार' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13.... माह 01.... सन 2021 को दिनांक 13.1.21 से **30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नो सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और **रूपए 65,50,00,000 /-** (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान सुरेलाकलां, खसरा क्रमांक 1 का क्षेत्रफल 8.377 तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद म0प्र0 है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. [illegible] मिश्र

[illegible]

Authorised Signatory म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख (30/02) से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रुपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा.

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा.

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयताएं 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

K.K. Transport & Construction Limited

Authorised Signatory

डॉ. नरेन्द्रकुमार मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा .

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा को आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Construction Limited
Authorised Signatory

कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्गों का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्रपत्र में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

डॉ. परदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20 ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21 ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारणों से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22 यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24 (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

R.T. Transport & Construction Limited

डॉ. [illegible] मिश्र
कार्यपालक संचालक
... स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. [illegible] मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही गंतव्य के लिए जाने देगा।

29 ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30 अनुबंध के अधीन, एतद्‌द्वारा यह पढ़कामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
76	होशंगाबाद	पिपरिया	होशंगाबाद	सुरेलकला	1	8.377

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ----------------------------- दिनांक ------------------ द्वारा चुकाया जा चुका है ।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. .... एस. सी. नेमा

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र

(कार्यपालक संचालक)

म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन निगम मर्यादित, हस्ताक्षर

जिला......................

(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम,व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ------------------------------

2. ....

ठेकेदार का नाम पता तथा हस्ताक्षर

मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गन्तव्य के लिए जाने देगा।

29 ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30 अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पहकानित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 65,50,00,000/- मात्र (अंतिम छन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जायेगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
76	होशंगाबाद	पिपरिया	होशंगाबाद	सुरेलकलां	1	8.377

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ------------------------------
दिनांक -------------------- द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2 ....
एस. सी. मेश्राम
प्रबंधक (खनन)

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1 .... नीरज प्रकाश सिंह

2 .... Neeraj Tiwari

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
(कार्यपालक संचालक)
प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला ....
(मुहर)

13/01/2021

ठेकेदार का नाम पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13.1.21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यत: ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपए 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यत:, राज्य शासन/ निगम ने उसे इस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान सिंघौडी, खसरा क्रमांक 206 का क्षेत्रफल 6.000 तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद म0प्र0 है । और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. परदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13.1.23 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाए खडी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैसठ करोड पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तो में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुन: निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि सय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म प्र स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा

परन्तु यह कि यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधिन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जाती होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी.

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई निश्चत राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में एकमुश्त जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

K.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्रारूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. रोड माईनिंग कार्प. लि.

Authorised Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को समर्पित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

डॉ. परशुमूर्ति मिश्र
कार्यकारी संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संवाद में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Construction Limited

Authorised Signatory

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पहचानित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
81	होशंगाबाद	पिपरिया	होशंगाबाद	सिघोड़ी	206	6.000

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ----------------------------
दिनांक ------------------ द्वारा चुकाया जा चुका है ।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

एस. सी. नेमा
प्रबंधक (खनन)

डॉ. चरणमूर्ति मिश्र
(कार्यपालक निदेशक)
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला..........................
(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

12/01/2021

ठेकेदार का नाम पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मैसर्स आर0के0 ट्रासपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13... माह 01...... सन 2021 को दिनांक 31.12.21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1 यत:,ठेकेदार, निविदा की शर्तो के अनुसार निविदा की राशि रूपए 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की से देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यत:, राज्य शासन/ निगम ने उसे इस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान सांगाखेड़ाखुर्द, खसरा क्रमांक 1 का क्षेत्रफल 10.000 तहसील बाबई जिला होशंगाबाद म0प्र0 है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2 अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

डॉ. हरिदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R K Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा निविदाकार को पहान्तरित भूमि का तारीख 13/1/21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एलट द्वारा पहान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा :-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रुपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा.

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए.

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा.

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयताये 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा.

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि सम ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. परममूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टोन माईनिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा को आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किस्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिगृहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

डॉ. पुरुषोत्तम मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि

R.K. Transport & Constructions Limited

Auth... Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असदत्त रहती है तो कलक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को पेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या इसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय प्रवृत्त समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान से नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूरा रेखांक संधारित करेगा और शासन/कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. चंद्रमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

डॉ. [illegible] मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R. L. Transport & [illegible] Limited

Authorised Signatory

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध से और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

डॉ. [illegible] मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & [illegible] Limited

Authorised Signatory

28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29 ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30 अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अंकित धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
57	होशंगाबाद	बाबई	होशंगाबाद	मालाखेड़ाखुर्द	1	10.000

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ---------------------------- दिनांक ---------------- द्वारा चुकाया जा चुका है ।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. .... (प्रबंधक)

साक्षियों का पूरा नाम,व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. .... Neeraj

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
(कार्यपालक संचालक)
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला.................
(मुहर)

ठेकेदार का नाम,पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर** (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहा कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13.1.21 से **30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यत: ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम पट्टा द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और **रूपए 65,50,00,000 /-** (पैसठ करोड़ पचास लाख रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी, और

यत: राज्य शासन/ निगम ने उसे इस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान रेवामोहारी, खसरा क्रमांक 114 का क्षेत्रफल 10.000 तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद म0प्र0 है । और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसविदाओं और करार के प्रतिपालन में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

Authorised Signatory

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा -

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रुपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के पथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यापगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि सब ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12 ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13 ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14 ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15 ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16 सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17 ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18 ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19 ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा

S.K. Transport & Construction Limited

Authorised Signatory

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जा सकेगी.

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई नियत राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. देवमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके अर्थ में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. एस.मूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की एक मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरूद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

R.K. Transport & Construction Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

28. ठेकेदार खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गन्तव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पक्कानित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,09,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची "क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	[illegible]	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे)
1	2	3		4	5	6
100	होशंगाबाद	सोहागपुर	होशंगाबाद	रेवामोहारी	[illegible]14	10.000

- इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ---------------------------- दिनांक ------------------ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. .... एस. डी. नेमा निदेशक (सामान्य)

साक्षियों का पूरा नाम,व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र

(कार्यपालक संचालक) प्रबन्ध संचालक म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित, हस्ताक्षर

जिला........

(मुहर)

1.------------ [illegible]

2.------------ [illegible]

13/01/2021

ठेकेदार का नाम,पता तथा हस्ताक्षर

मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्रारूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन 2021 को दिनांक 13.1.21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यत:,ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रुपए 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रुपए 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रुपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रुपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यत:, राज्य शासन/ निगम ने उसे उक्त रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान रामगढ़-2, खसरा क्रमांक 1/1 का क्षेत्रफल 11.000 तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद म0प्र0 है । और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रायल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए पट्टत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

[illegible] निगम

[illegible]

Authorised Signatory [illegible]

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाए खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा:

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्ययगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & Constructions Limited
Authorised Signatory

डॉ॰ वीरेन्द्रमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जा सकेगी.

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. [illegible] मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नही होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नही देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र में ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्रारूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. पराशमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. राज्य खनिज निगम लि.

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26 **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की ससूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Constructions Limited डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
प्रबंध संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.
Authorised Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20 ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21 ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22 यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरूद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24 (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

R.K. Transport & Constructions Limited
Authorised Signatory

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. इ-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह प्रज्ञापित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
103	होशंगाबाद	सिवनीमालवा	होशंगाबाद	राजघाट-2	1/1	11.000

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ---------------------------- दिनांक -------------------- द्वारा चुकाया जा चुका है ।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. .... एस. डी. मेश्राम प्रबंधक (खनिज)

साक्षियों का पूरा नाम,व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक

प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित, हस्ताक्षर

जिला ....

(मुहर)

13/01/2021

ठेकेदार का नाम,पता तथा हस्ताक्षर

मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन 2021 को दिनांक 13/1/21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1 यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रुपए 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद व्दारा ठेका राशि कहलाएगी और रुपए 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रुपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रुपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान राजौन-2, खसरा क्रमांक 181/1 का क्षेत्रफल 17.500 तहसील बाबई जिला होशंगाबाद म0प्र0 है । और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2 अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. चंद्रमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा **तथा कब्जा ग्रहण करेगा।**

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए **65,50,00,000/-** (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा :-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा;

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किस्तों की जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए.

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किस्त/किस्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा ;

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यथपात आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयताये 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा ;

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेटार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. परममूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जा सकेगी.

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिगृहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
प्रबंध संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्रारूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित कराने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24 (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्प. लि.

Authorised Signatory

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण**- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण कराने का विनिश्चिय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

डॉ. बरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पद्घोषित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
52	होशंगाबाद	बाबई	होशंगाबाद	राजौन-2	181/1	17.500

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ------------------------------ दिनांक ------------------- द्वारा चुकाया जा चुका है ।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

एस. सी. नेमा
प्रबंधक (सामान्य)

(नामुमातक क्षेत्रतक)
डॉ. परदेगौत मिश्र
प्रबंध संचालक, राज्य खनिज निगम
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला..............................
(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. .... ओमेन्द्र प्रकाश सिंह

2. ....

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
मैसर्स आर0के0 ट्रॉसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एच0आई0जी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13.... माह 01.... सन् 2021 को दिनांक 13/1/21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया;

1. यत ,ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपए 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी, और

यत:, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान रामगढ़-1, खसरा क्रमांक 1/1 का क्षेत्रफल 11.000 तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद म0प्र0 है । उक्त जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 3.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्‌द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा ।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

डॉ. [illegible] मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधीन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी;

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई निश्चत राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रत्यक्ष जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Construction Limited

Authorised Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

डॉ. [illegible]
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो लि

R.S. Transport & [illegible] Limited

Authorised Signatory

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

डॉ. परशुराम मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन क्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा; परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

डॉ. परशुमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Communications Limited

Authorised Signatory

28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29 ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30 अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पराक्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतविष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
102	होशंगाबाद	सिवनीमालवा	होशंगाबाद	रामगढ़-1	1/1	11.000

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ------------------------ दिनांक ------------------ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

एस. सी. नेमा
प्रबंधक (सामान्य)

(कार्यपालक संचालक)
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला.....................
(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम,व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

ठेकेदार का नाम,पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन 2021 को दिनांक 13.1.21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः,ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपए 261,99,99,999/- (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे इस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिसे खदान राजौन-1, खसरा क्रमांक 181/1 का क्षेत्रफल 17.500 तहसील बाबई जिला होशंगाबाद म0प्र0 है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रायल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र

प्रबंध संचालक

म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

3 ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खडी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रुपए 65,50,00,000/- (पैसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रुपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा.

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा.

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यथमत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा.

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डी. परमभूति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी;

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Consultants Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य मुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हे प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म प्र स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकाल किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुन: वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन: निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गतव्य के लिए जाने देगा।

29 ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह प्रज्ञापित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए **65,50,00,000/-** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है **कलेक्टर/निगम** द्वारा उसे वापिस की **जाएगी।**

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
51	होशंगाबाद	बाबई	होशंगाबाद	राजौन-1	181/1	17.500

- **इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक** ---------------------------- **दिनांक** ....------------ द्वारा चुकाया जा चुका है ।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. .... आशुतोष टेमल महाप्रबंधक (खनन)

2. .... एस. सी. नेमा प्रबंधक (सामान्य)

साक्षियों का पूरा नाम,व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1 ---------------- महेन्द्र प्रताप सिंह

2 ---------------- Neeraj Tiwari

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
(कार्यपालक संचालक)
कार्यपालक संचालक म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो.लि.
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला............
(मुहर)

12/01/2021

ठेकेदार का नाम,पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमे इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति मे उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप मे श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल,** एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति मे, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन 2021 को दिनांक 13/1/21 से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यत:,ठेकेदार, निविदा की शर्तो के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् व्दारा ठेका राशि कहलाएगी और **रूपए 65,50,00,000 /-** (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप मे और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की मे देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तो के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी, और

यत:, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान रायपुर-4, खसरा क्रमांक 126 (New 207) का क्षेत्रफल 10.555 तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद म0प्र0 है । और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" मे दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल मे तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल मे तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए पट्टत्त क्षेत्र मे प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

डॉ. शरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited
Authorised Signatory

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) को नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुन: निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयताये 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि सम्य ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & Constructions Limited
Authorised Signatory

डॉ. वंदना मूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरूद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. चन्द्रमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी तल के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

R.K. Transport & Construction Limited
Authorised Signatory

डॉ. चंद्रमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा; परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

R.K. Transport & Constructions Limited
Authorised Signatory

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Constructions Limited
Authorised Signatory

(डॉ. वरदमूर्ति मिश्र)
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

28. • ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
11	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	रायपुर-4	126(New 207)	10.555

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ------------------------------- दिनांक ------------------- द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

एस. सी. नेमा

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र

(कार्यपालक संचालक)

म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित, हस्ताक्षर

जिला.......................

(मुहर)

12/01/2021

ठेकेदार का नाम पता तथा हस्ताक्षर

मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति** श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन 2021 को दिनांक 13.1.21 से **30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यत: ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रुपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और **रुपए 65,50,00,000 /-** (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रुपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रुपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यत:, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान मेहराघाट-10, खसरा क्रमांक 365 का क्षेत्रफल 11.655 तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद म0प्र0 है । और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर क्रय क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण मे, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 19.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा -

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा:

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्ययगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा:

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

डॉ. शरदसूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
R.K. Transport & Construction Limited म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा .

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा .

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी.

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथावश्यक पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई निश्चत राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा .

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा ।

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Construction Limited

Authorised Signatory

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण**- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि **या** उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

डॉ. परमभूति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30 अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पद्क्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त से अतिविष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तो की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 65,50,00,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	खण्ड (ब्लॉक / रेंज)	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
33	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	मेहराघाट-10	365	11.655

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ---------------------------- दिनांक ------------------ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....
एस. के. गंगा
प्रबंधक (सामान्य)

साक्षियों का पूरा नाम,व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. .... पंकज प्रकाश सिंह

2. .... Neeraj Tiwari

डॉ. सरस्वती मिश्रा
(कार्यपालक संचालक)
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.
मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला..................
(मुहर)

Shubham 13/01/2021

ठेकेदार का नाम,पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर** (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को दिनांक 13.1.21 से **30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यत:,ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रुपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रुपए **65,50,00,000 /-** (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रुपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रुपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी, और

यत:, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान निमसाडिया-2, खसरा क्रमांक 1163 का क्षेत्रफल 20.243 तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद, म0प्र0 है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए पट्टत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13.1.23 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4 एतद्वारा यह सहमति पदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा.

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए.

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा.

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा.

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति से (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस **मात्रा के आगामी** वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधिन से **अवशिष्ट मात्रा** के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण **किया** जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी.

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथासोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई निश्चत राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्रारूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

डॉ. वरदेमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited.

Authorised Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरूद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन सक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

डॉ. विनयमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण**- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान से जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

Authorised Signatory

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पड़क्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए **65,50,00,000/-** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
27	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	निमसाडिया-2	1163	20.243

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ---------------------- दिनांक ------------------ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. .... एस. सी. नेमा प्रबंधक (सामान्य)

साक्षियों का पूरा नाम,व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
(कार्यपालक संचालक)
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला..........................
(मुहर)

1. —ए-टू इम्पेक्स लि.

2. Neeraj Pandey

Anubhav 13/09/2021

ठेकेदार का नाम,पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एच.आई.जी-07, सेक्टर 02 शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति** श्री **अनुभव सिंघल, एचआईजी-07,** सेक्टर 02, **शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर** (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 ...... सन् 2021 को **दिनांक** 13/1/21 से 30.06.2023 **की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार अंत किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान मरोड़ा-1, खसरा क्रमांक 1 का क्षेत्रफल 22.500 तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद म0प्र0 है । और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. [illegible] मिश्र
कार्यपालिक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13/1/21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रुपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रुपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

डॉ. वीरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
R.K Transport & Constructions Limited म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जा सकेगी

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

डॉ. परिदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा

डॉ. [illegible] मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह से निकाले किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पट्टय भाग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरूद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुन: वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन: निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
आर. के. ट्रांसपोर्ट कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को जब्त करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. वेदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पारस्परिक किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए **65,50,00,000/-** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
63	होशंगाबाद	इटारसी	होशंगाबाद	मरोड़ा-1	1	[illegible]

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ---------------------------- दिनांक ------------------ द्वारा चुकाया जा चुका है ।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1 .... आशुतोष शर्मा सहायक (खनि)

2 .... एस. सी. [illegible] प्रबंधक (...)

साक्षियों का पूरा नाम,व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1------------------ [illegible]

2------------------ Neeraj Trivedi

डॉ. [illegible]
(कार्यपालक) कार्यकारी प्रबंधक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो.लि.
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मर्यादित हस्ताक्षर
जिला ....
(मुहर)

13/01/2021

ठेकेदार का नाम,पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0. अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एच.आई.जी.-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर** (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन 2021 को **दिनांक** 13-1-21 **से 30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रुपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रुपए 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रुपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रुपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान जासलपुर-1, खसरा क्रमांक 691/1 का क्षेत्रफल 10.000 तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद, म0प्र0 है । और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए पट्टाकृत क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख/3-1-21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड पचास लाख रूपये) अग नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा

परन्तु यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा स्वप्रगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा.

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & C…

Authorised Signatory

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा।

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Construction Limited

Authorised Signatory

डॉ. शरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. पंचममूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकाल किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधीन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को परिवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए बाकिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24 (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, बस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

S.S. Transgulf [illegible]

Authorised Signatory

28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29 ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30 अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पृष्ठांकित किया जाता है कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
24	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	जासलपुर-1	691/1	10.000

- इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ------------------------------
दिनांक -------------------- द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. .... एस. सी. नेमा ....
निदेशक (सामान्य)

(कार्यपालिक संचालक)
कार्यपालिक संचालक
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला..............................
(मुद्रा)

साक्षियों का पूरा नाम,व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ------------------------------

2. ------------------------------

13/01/2021

ठेकेदार का नाम,पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव मिश्रा, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)** (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को **दिनांक** 13.1.21 **से 30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः,ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रुपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रुपए **65,50,00,000 /-** (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रुपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रुपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान जर्मारा, खसरा क्रमांक 137 का क्षेत्रफल 19.938 तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद म0प्र0 है । और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में **दिया** गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रायल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

डॉ. कर्मदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

R.K. Transport & Constructions Limited

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13/1/21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) को नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलम्ब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान को संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि सब ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा।

परन्तु यह कि यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संधारित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की शर्तों या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नही करने की स्थिति मे, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नही होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशेषताएं दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हे प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप मे त्रैमासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरूद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

25. यदि इस ठेके के सबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की सूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो हाथ द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना से विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को जप्त करने का अधिकार होगा।

28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29 ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30 अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पहकामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतविष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए 65,50,00,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (है)
1	2	3		4	5	6
74	होशंगाबाद	पिपरिया	होशंगाबाद	जमारा	137	19.938

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ---------------------
दिनांक ------------------ द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. .... आशुतोष ...
प्रबंधक (खनि)

2. .... एस. सी. लेवा
प्रबंधक (सामान्य)

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
(कार्यपालक संचालक)
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला.....................
(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम,व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

ठेकेदार का नाम,पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एच.आई.जी.-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर** (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन 2021 को दिनांक 13.1.21 से **30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रुपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रुपए **65,50,00,000 /-** (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रुपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रुपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान होरियाखेड़ा, खसरा क्रमांक 226 का क्षेत्रफल 19.746 तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद, म0प्र0 है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

Authorised Signatory

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13/1/21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा -

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा

परन्तु यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयताये 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि सब ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

B.K. Transport & Constructions Limited
Authorised Signatory

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6 रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संधारित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7 ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदीतल के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशेषताएं दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory
R K Transport & Constructions Limited

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए बाकि ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुन: वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन: निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

Electronically signed by

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

M.P. Transport & Construction Limited

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26 कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

Page 6 of 7

Authorised Signatory

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29 ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30 अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाकाशित किया जाता है कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अंकित धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	[illegible]	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
34	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	हरियापीपर	226	19.746

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ....

दिनांक .... **द्वारा चुकाया जा चुका है ।**

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. .... अनुराग [illegible]

2. .... एस. सी. नेमा प्रबंधक (सामान्य)

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
(कार्यपालक संचालक)
म.प्र. राज्य खनिज निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर
जिला......................
(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1.............................. [illegible]

2.............................. [illegible]

13/01/2021

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
मैसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एच.आई.जी.-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पांच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर** (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2021 को **दिनांक 13.01.21 से 30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यत: ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रुपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो उसके द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रुपए **65,50,00,000 /-** (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रुपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रुपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी, और

यत:, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान देवलाखेड़ी, खसरा क्रमांक 60 का क्षेत्रफल 12.145 तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद, म0प्र0 है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए पट्टाकृत क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर क्रय अग्रक्रयाधिकार [illegible] खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर [illegible] जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि

Authorised Signatory

R. K. Transport & Constructions Limited

3 ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि और तारीख 13-1-21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4 एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5 (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रुपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) आगे दी गई तारीखों पर उसके नीचे किश्तों में भुगतान करेगा।

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रुपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयराशि 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

R.S. Transport & Constructions Limited
Authorised Signatory

(2) ठेकेदार, ठेका राशि को रकम के [illegible] में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु यदि ठेकेदार निर्धारित [illegible] से अधिक [illegible] अतिरिक्त निकासी [illegible] है अथवा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जाई गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा को आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी किन्तु [illegible] वर्ष के ठेकाधन [illegible] अवशेष [illegible] मात्रा के [illegible] की राशि जमा की [illegible] अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार [illegible] अनुमोदित मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक [illegible] में तिमाही हेतु उल्लिखित [illegible] से अधिक [illegible] निकासी [illegible] गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अन्तर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु यदि ठेकेदार [illegible] का भुगतान करने में [illegible] 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से [illegible] का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा;

6 रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में यथास्थिति जमा कराई जाएगी।

7 ठेका रकम तथा अन्य राशियां [illegible] इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, [illegible] तारीखों से दो मास से अधिक [illegible] भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह की अवधि के लिए [illegible] [illegible] किये जाने संबंधी [illegible] [illegible] सहित शासन [illegible] [illegible] बाध्यकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के लिए [illegible] [illegible] ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व [illegible] ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई [illegible] की [illegible] [illegible] ठेकेदार को [illegible] [illegible] अधिकार नहीं होगा।

10 ठेकेदार, [illegible] भूमि [illegible] [illegible] के लिए [illegible] स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11 ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अन्तरित नहीं करेगा।

12 ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13 ठेकेदार, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14 ठेकेदार, खदान में [illegible] [illegible] [illegible] के समुचित [illegible] करने के लिए उत्तरदायी होगा।

15 ठेकेदार, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सुख-सुविधाओं का [illegible] रखेगा।

16 सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17 ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम [illegible] मीटर तक अथवा [illegible] [illegible] तक जो भी [illegible] हो किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18 ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियाँ दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन, कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या माँग किए जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19 ठेकेदार, नीचे दिये गए प्रारूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की [illegible] तारीख के पूर्व म०प्र० राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory
S.K. Transport & Constructions Limited

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21 ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की अपर्याप्तता तथा अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में राज्य सरकार/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकार या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22 यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को परावर्तित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की एक माह की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए आनुपातिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा. इस अवधि में खदान संक्रियाएं संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24 (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री पर कब्जा लेने का अधिकार होगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

M.P. Transport & Constructions Limited

25 यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26 कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई है, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका कोई भाग अवस्थित है, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति [illegible] करके या उसे उस स्थान में [illegible] ठेकेदार निवास करता है, [illegible] कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) [illegible] अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27 यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम [illegible] ठेकेदार द्वारा [illegible] सुरक्षा राशि या उसके [illegible] राजसात [illegible] होगा।

[illegible]

डॉ. शरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

[illegible]

28 ठेकेदार खदान से [illegible] प्रत्येक [illegible] को राज्य सरकार [illegible] [illegible] मास [illegible] देगा।

29 [illegible] अनुबंध [illegible]

30 अनुबंध के अधीन, [illegible] की [illegible] मूल्य [illegible] 65,50,00,000/- [illegible] हेक्टर [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] द्वारा इसे [illegible] किया [illegible]

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	[illegible]	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
30	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	[illegible]	[illegible]	12 [illegible]

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क [illegible] क्रमांक ------------------------ दिनांक ------------------- द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

डॉ. [illegible] मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
[illegible] हस्ताक्षर
दिनांक............................
[illegible]

13/01/2021

ठेकेदार का नाम [illegible] हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 [illegible] एण्ड [illegible] लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी 07, सेक्टर 02, [illegible] नगर, रायपुर, जिला रायपुर ([illegible])

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मैसर्स आर0के0 ट्रासपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)** (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन 2021 को दिनांक 13.1.21 से **30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1 यतः,ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रुपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और **रुपए 65,50,00,000 /-** (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रुपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रुपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान गुरजघाट, खसरा क्रमांक 1/1 का क्षेत्रफल 9.000 तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद, म0प्र0 है । और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2 अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रायल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

R.K. ... Limited

Authorised Signatory

3 ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13/1/21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4 एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रुपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रुपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम, प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए.

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा स्वप्रेरणा आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयताएं 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों का, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इन्हें ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसी कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्गों का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन, कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

डॉ. ... मूर्ति मिश्र
प्रबंध संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & ... Limited

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह मे निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह मे निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत मे खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरूद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसका ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने से पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा, परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) [illegible] ठेके की कालावधि [illegible] खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है [illegible]

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Constructions Limited

डॉ. चन्द्रमूर्ति मिश्र
कार्यपालिक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अंकित राशि) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जावेगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए)	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
[illegible]	[illegible]	सिवनीमालवा	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.000

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ---------------------------- दिनांक ------------------- द्वारा चुकाया जा चुका है ।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

एस. पी. [illegible]
प्रबंधक

साक्षियों का पूरा नाम,व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम
सर्वाधिकृत हस्ताक्षर
जिला..........
(मुहर)

ठेकेदार का नाम पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररुप-पांच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है)। जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री **अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)** (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13... माह 01.... सन 2021 को **दिनांक** 13.1.21 **से 30.06.2023 की अवधि हेतु** व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 65,50,00,000 /- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय सम्पूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान <u>डेहो-2, खसरा क्रमांक 291, 559 का क्षेत्रफल 6.433 तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद</u> म0प्र0 है। और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. [illegible] मिश्र

कार्यपालक संचालक

म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि आदि तारीख [8.1.22] से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रुपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा:

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयताये 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा:

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

S.K. Transport & Construction [illegible]
Authorised [illegible]

डॉ. [illegible] सिंह
[illegible]

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि,यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जा सकेगी

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

R.K. Transport & Construction Limited
Authorised Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा।

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरूद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

डॉ. देवदत्त मिश्र
अतिरिक्त संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुनर्ग्रहण- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की सूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा पदाधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा पदाधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा पदाधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ विभाग को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

R.K. Transport & Construction Limited

28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29 ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30 अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पड़क्रामित किया जाता है कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	खदान क्र० / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
112	होशंगाबाद	सिवनीमालवा	होशंगाबाद	डेढी-2	291 559	6 433

- इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ------------------------------ दिनांक ------------------- द्वारा चुकाया जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

एस. के. नेमा

(कार्यपालक सुधारक)

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित, हस्ताक्षर

जिला..........................

(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

13/01/2021

ठेकेदार का नाम पता तथा हस्ताक्षर

मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति **श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर** (छ0ग0) (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन 2021 को **दिनांक** 13.1.2021 **से 30.06.2023 की अवधि हेतु** व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रुपए **261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रुपए **65,50,00,000 /-** (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रुपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रुपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान **गोंडियाकिशोर-2, खसरा क्रमांक 115 का क्षेत्रफल 8.522 तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद**, म0प्र0 है । और **जिसका विवरण संलग्न** अनुसूची **"क"** में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रायल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

डॉ. वेदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited

Authorised Signatory

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13-1-21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये [illegible]

[illegible] 65,30,00,000/- [illegible]
[illegible]

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रुपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	[illegible]	[illegible]
2	द्वितीय किश्त	65.50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65.50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4	चतुर्थ किश्त	65.50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु [illegible]

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो [illegible] के पक्ष में आवंटित समूह की [illegible] के लिए ई-टीपी [illegible] की [illegible] तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी [illegible]

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि [illegible] 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन [illegible]

परन्तु यह और कि [illegible] ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की [illegible] के लिए [illegible] रहेगी।

Page 2 of 7

[illegible] Construction Limited

Authorised Signatory

[illegible] सिंह
[illegible] संचालक
[illegible] कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की [illegible] पर्यावरण [illegible] PM [illegible] तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) [illegible] ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार [illegible] अधिक [illegible] का भुगतान करने के [illegible] होगा।

परन्तु यह [illegible] खनन योजना में उल्लिखित [illegible] 20 प्रतिशत [illegible] की अनुमति न [illegible]

परन्तु [illegible] 20 प्रतिशत से अधिक नहीं [illegible] खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं [illegible]

(3) [illegible] स्थिति में उक्त ठेकेदार [illegible]

[illegible] होगा।

6 रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य [illegible] ठेकेदार द्वारा [illegible]

7 [illegible]

डॉ. [illegible] मिश्र
कार्यपालक संचालक
[illegible]

R.K. Transport & Construction
Authorised Signatory

8 यदि इस अनुबंध के अधीन [illegible] अन्य शोध्य [illegible] एक [illegible] से अधिक के लिए असंदत्त रहती है [illegible] ठेका [illegible] किये जाने [illegible] अंतरण का [illegible] एवं [illegible] का निर्णय अंतिम [illegible] बाध्यकारी होगा।

9 ठेकेदार [illegible] के समाप्त [illegible] करने की [illegible] उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा [illegible] ठेकेदार [illegible] करने का [illegible] नहीं होगा।

10 ठेकेदार [illegible] भूमि की [illegible] करने के लिए [illegible] स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11 ठेकेदार [illegible] की समस्त [illegible] नहीं [illegible]।

12 ठेकेदार, इस अनुबंध के [illegible] उत्तरदायी होगा।

13 ठेकेदार, [illegible] और सभी अन्य [illegible] आबद्ध होगा, [illegible] समय-समय पर [illegible]।

14 ठेकेदार, [illegible] न कोई [illegible] करने के लिए [illegible] होगा।

15 ठेकेदार, [illegible] और अन्य [illegible] का [illegible] रखेगा।

16 ठेकेदार को यह अधिकार होगा [illegible] आबादी की [illegible] के लिए [illegible] का निर्माण [illegible] नहीं होगा।

17 ठेकेदार [illegible] किन्तु ऐसा [illegible] अधिकार [illegible]।

18 ठेकेदार, [illegible] निर्धारित [illegible] उसके [illegible] प्रस्तुत करेगा।

19 ठेकेदार, [illegible] प्रत्येक मास की [illegible] तारीख के पूर्व [illegible]।

डॉ. [illegible] मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.

R.K. [illegible] Limited

Authorised Signatory

माह	निकाली गयी [illegible] (घनमीटर)	[illegible] (घनमीटर)	[illegible] (घनमीटर)	[illegible] (घनमीटर)	[illegible] (घनमीटर)	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, उत्खनन क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल सम्बंधित जिला कलेक्टर को देगा।

21. ठेकेदार, [illegible] की गई [illegible] ठेकेदार की [illegible] से [illegible] मुआवजा [illegible] नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, [illegible] अवधि के पूर्व क्षेत्र के [illegible] ठेके का [illegible] चाहता है तो वह ऐसे आशय [illegible] की लिखित सूचना कलेक्टर/जिला खनिज अधिकारी को देगा। [illegible] अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में [illegible] समर्पण स्वीकार किया जायेगा [illegible] ठेकेदार [illegible] की जा सकेगी। [illegible] पुनः [illegible] नहीं होगा। [illegible] होने के पश्चात [illegible] पुनः निविदा प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ की जायेगी।

23. ठेकेदार, जिसको [illegible] ठेका दिया गया है, उसको [illegible] प्रयोजन के लिए [illegible] के अधीन [illegible] नहीं करेगा।

24. (1) [illegible] सरकार को [illegible] मशीनरी, सामान, [illegible] का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा [illegible] के लिए कोई दावा नहीं करेगा।
(2) [illegible] ठेका की कालावधि समाप्त होने के पूर्व [illegible] सूचना दी जायेगी।

[illegible] सिंह
[illegible] संचालक
[illegible]

R.K. Transport [illegible] Limited

Authorised Signatory

(2) [illegible] होगा।

(3) [illegible]

(1) [illegible] निर्दिष्ट [illegible] अधिकारी [illegible] समाचार-पत्र में प्रकाशित [illegible]।

(2) [illegible] अधिकारी को सूचना की तामील की तारीख से [illegible] दिन के भीतर [illegible] देगा।

(3) [illegible] निर्दिष्ट [illegible] जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि [illegible] अनुज्ञा [illegible]।

[illegible] द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग [illegible] करने का अधिकार होगा।

[illegible] निदेशक
[illegible] कार्पो. लि.

Authorised Signatory

28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही गन्तव्य के लिए जाने देगा।

29 [illegible] हस्ताक्षेप, अनुबंध [illegible] के [illegible] होंगी।

30 अनुबंध के अधीन एतद्द्वारा [illegible] किया जाता है कि यदि [illegible] उपरोक्त [illegible] अवशिष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है तो [illegible] राशि रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा [illegible] कलेक्टर/विभाग द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

[illegible]	जिला	तहसील	ग्राम/नाम	[illegible]	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	6	5
[illegible]	[illegible]	सिमरिया	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं [illegible] शुल्क [illegible] क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा भुगतान जा चुका है।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1.

2. ....

एस. पी. [illegible]

[illegible]

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. [illegible]

2. [illegible]

डॉ. परदमूर्ति मिश्र

[illegible]

[illegible]

जिला [illegible]

(मुहर)

13/02/2021

ठेकेदार का हस्ताक्षर तथा मुद्रा

मेसर्स आर.के. [illegible] प्रा. लि. [illegible], अधिकृत हस्ताक्षरी [illegible] निवासी, [illegible]

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित (निगम), भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उसके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष **के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव सिंघल, एचआईजी-07, सेक्टर 02, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)** (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 13 माह 01 सन 2021 को दिनांक 13.01.21 से **30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 261,99,99,999/-** (दो सौ इकसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और **रूपए 65,50,00,000 /-** (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि की में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने **योग्य होगी, और**

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान बेदर, खसरा क्रमांक 58 का क्षेत्रफल 16.976 तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद म0प्र0 है । और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 13.1.21 से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखना तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 65,50,00,000/- (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम किश्त	65,50,00,000/-	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2	द्वितीय किश्त	65,50,00,000/-	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3	तृतीय किश्त	65,50,00,000/-	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	65,50,00,000/-	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संधारित खाते में जमा करेगा;

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए.

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा.

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष मे आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

(2) ठेकेदार ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह घटी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा की निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

R.K. Transport & Constructions Limited
Authorised Signatory

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन प्रक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उसका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्रारूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा

डॉ. वेदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

[illegible] Transport & Constructions Limited

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20 ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21 ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर/निगम के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22 यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलेक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरूद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24 (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Authorised Signatory

[illegible] & Constructions Limited

25 यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26 **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलेक्टर को जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड(2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27 यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

28 ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29 ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30 अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह प्रज्ञापित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों की पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए 65,50,00,000/- मात्र (अधिकथित धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची-"क"

(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
83	होशंगाबाद	बनखेड़ी	होशंगाबाद	सेंदर	58	16.975

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक ---------------------------
दिनांक ------------------ द्वारा चुकाया जा चुका है ।

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. .... आशुतोष तिवारी

2. .... एस. सी. मेगा
प्रबंधक (खनन)

(कार्यपालक संचालक)
डॉ. सत्यमूर्ति मिश्रा
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.
मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम
मर्यादित, हस्ताक्षर

जिला........................

(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. .... पंकज कुमार सिंह

2. .... Neeraj Singh

13/01/2021

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
मेसर्स आर0के0 ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन लि0, अधिकृत व्यक्ति श्री अनुभव मिश्रा, ... सेक्टर 02, ... कानपुर, जिला कानपुर (उ0प्र0)